

अध्याय

4

अनंतिम रूप से कुर्क की जाने वाली संपत्ति की पहचान

एओ उस संपत्ति की पहचान करेगा और अनंतिम रूप से कुर्क करेगा, जिससे राजस्व के हितों की सर्वोत्तम रक्षा हो। संपत्ति की पहचान और अनंतिम कुर्की में करदाताओं की परिसंपत्तियों के विवरण की जांच, कुर्की के लिए परिसंपत्तियों के प्रकार का चयन, निर्धारिती द्वारा परिसंपत्तियों के स्वामित्व/स्वत्वाधिकार का सत्यापन और कुर्क की गई परिसंपत्तियों का पर्याप्तता शामिल है। इस अध्याय में अधिनियम की धारा 281बी के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की जाने वाली संपत्ति की पहचान के लिए प्रक्रिया और मापदंडों के संदर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षित मामलों में से 291 (83 प्रतिशत) में, जैसा कि दस्तावेजों से पाया गया, एओ ने निर्धारितियों के कब्जे में सभी परिसंपत्तियों के विवरण का पता लगाने के बोर्ड के उन अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया, जिनपर अनंतिम कुर्की के लिए विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 133 मामलों में से 124 (93.2 प्रतिशत) जिनमें लेखापरीक्षा को मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जांच विंग द्वारा तैयार की गई परिसंपत्तियों की सूची लेखापरीक्षा के साथ साझा नहीं की गई। इसलिए, लेखापरीक्षा अनंतिम कुर्की के लिए उपयुक्त संपत्ति के चयन में एओ के प्रयासों में जांच विंग की सहायता की भूमिका को सत्यापित नहीं कर सकी।

हमने यह भी पाया कि परिसंपत्तियों की पहचान की प्रक्रिया में कमी थी, जिससे अनंतिम कुर्की की प्रभावशीलता कम हो गई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मौजूदा प्रावधान अनंतिम कुर्की हेतु विचार करने के लिए परिसंपत्तियों की प्राथमिकता को विनिर्दिष्ट या सुझाव नहीं देते हैं और इस प्रकार, कुर्की के लिए संपत्ति³⁶ का चयन पूरी तरह से एओ के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि न्यायिक निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि बैंक खातों की अनंतिम कुर्की केवल अंतिम

³⁶ अचल संपत्ति और चल संपत्ति जैसे वाहन, शेर, एफडी, आदि।

उपाय के रूप में की जानी चाहिए³⁷, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 32 मामलों (लेखापरीक्षित मामलों का 9.1 प्रतिशत) में निर्धारितियों के बचत/चालू बैंक खातों को क्षेत्राधिकार एओ द्वारा, यह निश्चित किए बिना कि उन्हें केवल अंतिम उपाय के रूप में अनंतिम कुर्क किया जाना था, अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था।

लेखापरीक्षा में इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि एओ ने अनंतिम कुर्की के लिए विचार करने से पहले निर्धारितियों की संपत्ति का मूल्यांकन उनकी स्वामित्व आवश्यकताओं (349 मामलों) के साथ-साथ उनकी गैर-देनदारी स्थिति (343 मामलों) के लिए निश्चित नहीं किया। सात मामलों में, जहां सूचना उपलब्ध कराई गई थी, अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति को अनंतिम कुर्की की तारीख पर या तो अलग कर दिया गया था या निर्धारितियों के स्वामित्व में नहीं था। इसी प्रकार, सात मामलों में, जहां सूचना उपलब्ध कराई गई थी, कुर्क की गई संपत्ति कुर्की की तारीख से पहले आंशिक रूप से या पूरी तरह से ऋणभारित था।

हमने पाया कि 350 लेखापरीक्षित मामलों में से केवल 60 में से कुर्क की गई संपत्तियों की पर्याप्तता का विश्लेषण किया जा सकता है, क्योंकि धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की के प्रस्तावों में शेष मामलों में अनुमानित कर देनदारी या कुर्क संपत्ति का मूल्य या दोनों का उल्लेख नहीं किया गया था। इन 60 मामलों में से 27 (45 प्रतिशत) में, अनुमानित कर देनदारी की तुलना में कुर्क की गई परिसंपत्तियों का मूल्य पूरी तरह से अपर्याप्त³⁸ था।

4.1 एक निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों के विवरण की जांच

बोर्ड ने सितम्बर, 2004 के अनुदेशों³⁹ में यह परिकल्पित था कि निर्धारण कार्रवाइयों के दौरान ही एओ निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों की जांच करने और उपयुक्त संपत्ति को अनंतिम कुर्की के अंतर्गत रखने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, तलाशी और जब्ती के मामलों में, मंत्रालय/सीबीडीटी ने अपने पूर्वोक्त अनुदेश में कहा था कि जांच विंग अधिकारी खास तौर से

³⁷ मैसर्स गांधी ट्रेडिंग बनाम एसीआईटी (239 आईटीआर 337) दिनांक 7 जुलाई 1999 बॉम्बे (एचसी)

³⁸ लेखापरीक्षा कुर्की को 'समग्रतः अपर्याप्त' मानती है, यदि इसका मूल्य अनुमानित कर देनदारी के 75 प्रतिशत से कम है।

³⁹ सीबीडीटी अनुदेश सं.8 दिनांक 02/09/2004

निर्धारिती की कुर्क की जा सकने वाली संपत्तियों की पहचान करेंगे और उनका उल्लेख मूल्यांकन रिपोर्ट⁴⁰ में विशेष रूप से किया जाएगा। बोर्ड ने आगे अनुदेश दिए कि एओ को निर्धारण कार्रवाई के लिए एक कार्यालय नोट में, निर्धारिती की परिसंपत्ति का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों के विवरण के साथ-साथ अनंतिम कुर्की के अंतर्गत रखी गई परिसंपत्तियों के विवरण दर्ज करने चाहिए। इससे उन मामलों में, जहां धारा 281बी के अंतर्गत कुर्की को निर्धारण के बाद वसूली तक जारी नहीं रखा जा सकता, नियमित कुर्की⁴¹ पर विचार करने में मदद मिलेगी।

निर्धारितियों के कब्जे में परिसंपत्तियों के विवरण का पता लगाने की प्रक्रिया पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

(i) **एओ द्वारा परिसंपत्तियों के विवरण निश्चित करना:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि आठ केंद्रीय आयुक्तालय प्रभागों में 350 लेखापरीक्षित मामलों में से केवल 59 मामलों (17 प्रतिशत) में, एओ ने निर्धारण कार्रवाई के दौरान विशेष रूप से निर्धारिती से संबंधित सभी परिसंपत्तियों का विवरण मांगते हुए, निर्धारिती को नोटिस⁴² दिया। इनमें से, केवल 19 मामलों में निर्धारितियों ने अपने कब्जे वाली परिसंपत्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। शेष 291 मामलों (83 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनंतिम कुर्की के साथ-साथ संवीक्षा निर्धारण से जुड़े सभी संबंधित अभिलेखों में अनंतिम कुर्की के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों के विवरण का पता लगाने में एओ द्वारा किए गए प्रयासों का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था। परिसंपत्ति विवरणों का पता लगाने में एओ के प्रयासों का आयुक्तालय-वार विवरण नीचे तालिका संख्या 06 में दिया गया है।

⁴⁰ जांच विंग के अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसमें तलाशी के दौरान जब्त की गई सामग्री/साक्ष्यों का ब्यौरा दिया जाता है, तैयार की जाती है।

⁴¹ आईटी अधिनियम की धारा 222 और/या 226 के अंतर्गत निर्धारित पश्च-निर्धारण वसूली प्रक्रिया।

⁴² एओ द्वारा धारा 142 (1) के अंतर्गत जारी, जिसके कारण संवीक्षा निर्धारण के लिए चयनित निर्धारिती को : (1) इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना; (2) विस्तृत खातों, सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करना और (3) एओ द्वारा वांछित कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत करना।

तालिका संख्या 06: 281बी मामलों का विवरण जिनमें निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों की जांच में एओ द्वारा किए गए प्रयास/कोई प्रयास नहीं किए गए

प्र.सी.आई.टी. अधिकार क्षेत्र (एओ की संख्या)	मामलों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें एओ द्वारा परिसंपत्ति विवरण एकत्र करने के लिए किए गए दस्तावेजी प्रयास			ऐसे मामलों की संख्या जिनमें परिसंपत्ति विवरण एकत्र करने के लिए एओ द्वारा किए गए प्रयासों का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है
		ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें धारा 142 (1) के अंतर्गत निर्धारिती को विशेष रूप से परिसंपत्ति का विवरण देने हेतु नोटिस दिया गया था	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें एओ के प्रयासों के परिणामस्वरूप, परिसंपत्तियों का विवरण अभिलेख में दर्ज किया गया है	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें एओ के प्रयासों का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 1, दिल्ली (04)	11	3	0	08	
प्र.सीआईटी.(केन्द्रीय) - 2, दिल्ली (04)	30	5	0	25	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (06)	41	21	0	20	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 1, मुंबई (04)	09	0	0	09	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 3, मुंबई (05)	11	2	0	09	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 4, मुंबई (04)	16	5	1	11	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि (02)	07	4	0	03	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (10)	30	10	10	20	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (07)	25	9	8	16	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 1, कोलकाता (03)	07	0	0	07	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, कोलकाता (01)	06	0	0	06	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 1, चेन्नई (06)	34	0	0	34	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, चेन्नई (04)	34	0	0	34	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (02)	26	0	0	26	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम (01)	05	0	0	05	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़ (02)	22	0	0	22	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद (05)	33	0	0	33	
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), राजस्थान (01)	03	0	0	3	
कुल	350	59	19	291	

उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, राजस्थान और विशाखापत्तनम प्रभागों में परिसंपत्तियों के विवरण का पता लगाने में एओ द्वारा समुचित प्रयास नहीं किए गए थे।

एक महत्वपूर्ण निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

(क) प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई प्रभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सर्कल-8(1), मुंबई में निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए निर्धारित मैसर्स ई लिमिटेड के तलाशी निर्धारण मामले में, धारा 281बी के अंतर्गत निर्धारिती के स्वामित्व में हिस्से वाली परिसंपत्तियों सहित निर्धारिती द्वारा धारित सभी अचल परिसंपत्तियों (एकल और संयुक्त स्वामित्व वाली दोनों) का विवरण प्राप्त करके ₹13.89 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी के प्रति (₹ 46.29 करोड़ की अघोषित आय के 30 प्रतिशत की न्यूनतम कर दर पर गणना) ₹ 63.29 करोड़ के संचयी अंकित मूल्य वाली सात अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए प्रारंभिक आदेश (05/11/2018) जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपलब्ध संपत्तियों में से कुर्क की गई संपत्तियों जो कर देनदारी को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था, के चयन के तरीके को दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था, जो सितंबर 2004 के बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, एओ ने इस मामले में अनुमानित कर देनदारी की गणना नहीं की, जबकि अघोषित आय की प्रमात्रा ज्ञात थी, जो कुर्क की जाने वाली निर्धारित संपत्ति के पर्याप्त मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी। तलाशी निर्धारण 27/12/2018 को पूरा किया गया था, जिससे ₹ 85.20 करोड़ की संचयी मांग संवर्धित हुई, जिसके प्रति निर्धारिती ने ₹ 0.20 करोड़ की राशि का भुगतान किया और ₹ 85 करोड़ की शेष मांग अभी भी लंबित है (जनवरी 2021)। इस बीच, धारा 281बी के तहत आदेश व्यपगत हो गया और संयोगवश, निर्धारिती कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 10 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मुंबई के समक्ष एक याचिका (अप्रैल 2019) दायर की, जो अधिनिर्णयन में लंबित है। दिवाला अधिनिर्णयन की वर्तमान स्थिति मंत्रालय/सीबीडीटी से (अक्टूबर 2022) प्रतीक्षित है।

इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा धारित सभी अचल परिसंपत्तियों के विवरण की जानकारी होने के बावजूद, एओ ने अनुमानित कर देनदारी से कहीं अधिक अंकित मूल्य वाली अचल संपत्तियों को कुर्क किया। ऐसा करके, एओ न केवल अधिनियम की धारा 281बी के तहत कुर्क की जा सकने वाली संपत्ति का उचित चयन सुनिश्चित करने में विफल रहा, बल्कि बोर्ड के वर्तमान अनुदेशों का भी उल्लंघन किया।

इस प्रकार, अधिकांश मामलों में परिसंपत्तियों का विवरण पता नहीं लगाने से अनुमानित कर देनदारी के संदर्भ में संपत्ति की अपर्याप्त या अत्यधिक कुर्की हो सकती है, जिससे राजस्व की अपर्याप्त सुरक्षा या निर्धारिती को अनुचित कठिनाई का जोखिम हो सकता है।

(ii) **जांच विंग द्वारा परिसंपत्तियों के विवरण का पता लगाना:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि 133 मामलों में से (350 लेखापरीक्षित मामलों में से) जिनमें एओ ने लेखा परीक्षा के लिए मूल्यांकन रिपोर्टों का सारांश उपलब्ध कराया, केवल नौ मामलों में जांच विंग द्वारा तैयार की गई परिसंपत्तियों की सूची साझा की गई थी। दो निदर्शी मामले नीचे दिये गए हैं:

(क) ए48 समूह के समूह-संबंधित तलाशी निर्धारण में, जिसमें छह निर्धारिती नामतः श्री ए27, श्रीमति ए28, श्री ए29, श्री ए30, श्रीमति एम16, और श्रीमति पी18 का प्र.सीआईटी. (केंद्रीय), हैदराबाद प्रभार के अंतर्गत केंद्रीय सर्कल-3(2) में निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2018-19 के लिए निर्धारण किया गया, धारा 281बी के अंतर्गत संबंधित मामलों में अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए प्रारंभिक आदेश (19/02/2020) जारी किए गए थे। धारा 281बी (फरवरी 2020) के अंतर्गत अनंतिम कुर्की के प्रस्ताव में ₹ 71.57 करोड़ की संचयी अघोषित आय प्रकट किया (अनुमानित कर देनदारी लागू अधिभार/उपकर/ब्याज/शास्ति को छोड़कर ₹ 21.47 करोड़ बनती है, जो 30 प्रतिशत की न्यूनतम कर दर पर परिगणित की गई है)। लेखापरीक्षा ने मूल्यांकन रिपोर्ट के अंश में पाया (जनवरी 2021) कि इसमें "धारा 281बी के अंतर्गत कुर्क की जा सकने वाली संपत्तियों" की निर्धारिती-वार सूची शामिल है, जिसमें कुर्क की गई संपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं (मूल्य इंगित नहीं किए गए हैं)। तथापि, कुर्क की गई संपत्तियों के मूल्य की

अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं कर पाई कि कुर्क की गई संपत्तियां पर्याप्त थीं अथवा नहीं और क्या एओ द्वारा कुर्की के लिए संपत्तियों का चयन करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई परिसंपत्तियों की सूची का उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा ने नोट किया (जुलाई 2022) कि इन मामलों में तलाशी निर्धारण अप्रैल 2021 में हुआ था और एओ द्वारा ₹ 34.12 करोड़ की संचयी मांग उठाई थी। तथापि, धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की 19/04/2021 को व्यपगत हो गई। सीबीडीटी से कर वसूली की वर्तमान स्थिति (जुलाई 2022) प्रतीक्षित थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को अस्वीकार करते हुए, कहा (सितंबर 2022) कि इन मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने आकलन कार्यवाही के दौरान कुर्क की जाने वाली संपत्तियों के विवरण की जांच की और मांग संवर्धन की संभावना लगभग ₹ 25 करोड़ थी। तदनुसार, एओ ने मूल्यांकन रिपोर्ट से 29 संपत्तियों (29 फ्लैट्स) की पहचान की है, जिनका संचयी क्षेत्रफल 60,900 वर्ग फुट है और वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान उसी इमारत में निर्धारिती द्वारा विक्रय गई अन्य संपत्तियों के आधार पर प्रति वर्ग फुट की दर ₹ 4,114 थी। कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य ₹ 25.24 करोड़ है। निर्धारण पूरा होने के बाद, ₹ 22.09 करोड़ की संचयी मांग उठाई गई थी। इसलिए, धारा 281बी के अंतर्गत कुर्क की गई संपत्तियों के मूल्य उठाई गए कर देनदारी को कवर करने के लिए पर्याप्त थे। इसलिए, लेखापरीक्षा आपत्ति मान्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त, निर्धारिती द्वारा उपर्युक्त मांगों के प्रति सीआईटी (ए) के समक्ष अपीलें दायर की गई हैं और निपटान के लिए लंबित हैं। चूंकि निर्धारिती ने किसी भी मांग का भुगतान नहीं किया है, मामले को टीआरओ को भेजा गया है और टीआरओ ने विचाराधीन संपत्तियों को भी कुर्क किया है।

मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2022) कि ₹ 4,114 प्रति वर्ग फुट की दर से 60,900 वर्ग फुट का संचयी क्षेत्र की कुर्की की गई थी किन्तु लेखापरीक्षा को इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण पूरा होने के बाद ₹ 34.12 करोड़ की

संचयी मांग उठाई गई थी, जबकि मंत्रालय के अनुसार, ₹ 22.09 करोड़ की संचयी मांग उठाई गई थी। लेखापरीक्षा इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर सकी क्योंकि इस तथ्य के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षित मामले को न तो धारा 281बी के तहत पीसीआईटी(सी) की मंजूरी मांगने के एओ के प्रस्तावों (फरवरी 2020) में संबोधित किया गया और न ही जारी आदेशों (फरवरी/मार्च 2020) में। इस प्रकार, लेखापरीक्षा अनुमानित कर देनदारी को कवर करने के लिए कुर्क की गई संपत्ति के मूल्य की पर्याप्तता के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

इसके अतिरिक्त, यह तथ्य शेष रह जाता है कि जांच विंग द्वारा समूह में प्रत्येक निर्धारिती से संबंधित कुर्क की जाने योग्य संपत्तियों का विवरण प्रदान करने के बावजूद, इस बात का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था कि एओ ने अनंतिम कुर्की के लिए इन संपत्तियों का चयन करने से पहले इस पर विचार किया गया था।

(ख) प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद प्रभार के अंतर्गत केन्द्रीय सर्कल-3(2)(4) द्वारा नि.व. 2012-13 से 2018-19 के लिए ए14 समूह के समूह-संबंधित तलाशी निर्धारण किया गया जिसमें तीन निर्धारिती नामतः श्री ए14, श्री जे11 और श्री वी24 शामिल थे, धारा 281बी के अंतर्गत प्रारंभिक आदेश 23/02/2018 को जारी किए गए थे, जिसमें धारा 132(9बी) के अंतर्गत जांच विंग द्वारा पहले (30/08/2017) से पहले कुर्क की गई चल संपत्ति (जैसे आरबीआई बॉन्ड, सावधि जमा और इक्विटी पोर्टफोलियो) को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए, ₹ 8.80 करोड़ की अनुमानित कर देयता के मुकाबले ₹ 17.54 करोड़ के संचयी मूल्य के साथ, आदेश जारी किया गया। (समूह के सभी उक्त निर्धारितियों के संबंध में पाई गई अघोषित आय की कुल प्रमात्रा ₹ 29.33 करोड़ के 30 प्रतिशत पर गणना की गई)। मूल्यांकन रिपोर्ट के उद्धरण में, धारा 281बी के अंतर्गत कुर्क की जा सकने वाली अचल संपत्तियों की एक अलग सूची भी उपलब्ध थी, जिसमें कई वाणिज्यिक परिसरों और आवासीय भवनों आदि का विवरण था, जिनका संचयी मूल्य

₹ 105 करोड़ था। तथापि, लेखापरीक्षा यह ज्ञात नहीं कर सकी कि एओ ने कुर्की के लिए संपत्ति का चयन करते समय जांच विंग द्वारा प्रदत्त मूल्यांकन रिपोर्ट में उपलब्ध सूची का संज्ञान लिया था या नहीं चूंकि इस संबंध में रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था और विशेष रूप से जब कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य अनुमानित कर देनदारी को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त है। इन मामलों में, निर्धारण दिसंबर 2019 में पूरा हुआ और श्री ए14 के लिए ₹ 12.03 करोड़ की मांग सहित ₹ 13.90 करोड़ की संचयी मांग उठाई गई थी जिसमें से उन्होंने केवल ₹ 0.18 करोड़ का भुगतान किया, जबकि अन्य दो मामलों में, कोई भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईटीएटी, हैदराबाद द्वारा 29/04/2021 के आदेश के तहत निर्धारितियों को दी गई राहत के कारण संचयी कर देयता अंततः ₹0.03 करोड़ तक कम हो गई थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अस्वीकार करते हुए (सितंबर 2022) कहा कि इन मामलों में, एओ ने निर्धारण कार्यवाही के दौरान कुर्क की जाने वाली संपत्तियों के विवरण एवं उठाई जानेवाली संभावित मांग की जांच की एवं यह पाया गया कि यह अधिनियम की धारा 281बी के तहत कुर्क की गई संपत्तियों के लगभग बराबर था। निर्धारण पूरा होने के बाद श्री ए14 की ₹ 12.03 करोड़ की मांग सहित ₹ 13.90 करोड़ की कुल मांग की गई। इसलिए, धारा 281बी के तहत कुर्क की गई संपत्तियां उठाई गई कर मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं और अतः, धारा 281बी के अंतर्गत कोई और संपत्ति कुर्क नहीं की गई। बकाया कर मांग की वर्तमान स्थिति के संबंध में, यह कहा गया है कि क्योंकि सीआईटी (ए)-11, हैदराबाद ने निर्धारिती की अपील को स्वीकार कर लिया है, आज की तारीख तक कोई मांग बकाया नहीं है।

लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या अनंतिम कुर्की के लिए संपत्तियों का चयन करने से पूर्व एओ ने जांच विंग द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट में सूचीबद्ध सभी परिसंपत्तियों पर विचार करने में उचित सावधानी बरती थी।

इस प्रकार, बोर्ड द्वारा निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों के विवरण का पता लगाने के लिए सक्षम अनुदेशों⁴³ के बावजूद, जैसा कि दस्तावेजों से देखा गया है, तलाशी कार्यवाही के दौरान जांच विंग के अधिकारियों द्वारा या मूल्यांकन कार्रवाई के दौरान एओ द्वारा बड़े पैमाने पर उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, परिसंपत्तियों की पहचान की प्रक्रिया दोषयुक्त थी, जिससे अनंतिम कुर्की की प्रभावशीलता कम हो जाती है और यह अनुमानित कर देनदारी की तुलना में उनकी उपयुक्तता या पर्याप्तता के संदर्भ में अनंतिम कुर्की के लिए संपत्तियों के चयन को भी प्रभावित करता है, जहाँ इंगित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, शेष 217 मामलों में मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा इन मामलों में अनुपालन की सीमा का पता नहीं लगा सकी।

सिफारिश सं. 4:

सीबीडीटी संभावित कर मांग का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अनंतिम कुर्की के लिए उपयुक्त परिसंपत्ति का चयन करने के लिए समुचित दिशानिर्देश तैयार या सुझाव देकर निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों की जांच के लिए वर्तमान अनुदेश लागू कर सकता है और इस प्रकार, यथा अपेक्षित राजस्व की इष्टतम सुरक्षा अर्जित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी जांच का समुचित रूप से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि विभागीय अधिकारी बोर्ड के अनुदेशों से आबद्ध हैं।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा सिफारिश के अनुरूप नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दस्तावेजों से यह देखा जा सकता है कि एओ बोर्ड के सितम्बर, 2004 के उन अनुदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसके अनुसार निर्धारितियों के स्वामित्व वाली उन सभी परिसंपत्तियों के ब्यौरे का पता लगाया जाना चाहिए, जिन पर अनंतिम कुर्की के लिए विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जांच विंग ने उन परिसंपत्तियों के विवरण की भी

⁴³ सीबीडीटी निदेश सं. 08, सितम्बर 2004

पहचान नहीं की जो तलाशी के समय करदाता के कब्जे में थीं, जो अनंतिम कुर्की के लिए उपयुक्त संपत्ति के चयन में एओ के प्रयासों को पूरक करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी बेहतर अनुपालन के लिए उपयुक्त अनुदेशों को दोहरा सकता है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

4.2 कुर्क की जाने वाली संपत्ति के प्रकार का चयन

अधिनियम की धारा 281बी(1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है, कि एओ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में बताए गए तरीके से करदाता से संबंधित किसी भी संपत्ति (चल और/या अचल) को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकता है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न नियमों⁴⁴ के अंतर्गत विभिन्न चल और अचल संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया सम्मिलित है लेकिन उन संपत्तियों को सूचीबद्ध करना जिनपर अनंतिम कुर्की के लिए विचार किया जा सकता है या प्राथमिकता के क्रम को परिभाषित किया जा सकता है सम्मिलित नहीं है।

नीचे दी गई तालिका संख्या 07 में 18 केंद्रीय आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 350 लेखापरीक्षित मामलों में अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति के प्रकार का विवरण दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 07: मामलों में कुर्क संपत्ति के प्रकार का आयुक्तालय-वार विवरण				
प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ की संख्या)	धारा 281बी के तहत आदेश की संख्या	281बी मामलो की सं. जहां चल संपत्ति कुर्क की गई थी	281बी मामलो की सं. जहां अचल संपत्ति कुर्क की गई थी	281बी मामलो की सं. जहां दोनों प्रकार की संपत्ति कुर्क की गई थी
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-1, दिल्ली (04)	11	0	11	0
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-2, दिल्ली (04)	30	2	22	6
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-3, दिल्ली (06)	41	1	34	6
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय), भोपाल (02)	26	0	26	0
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (03)	7	2	0	5
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (01)	6	6	0	0

⁴⁴ नियम 1 (डी), नियम 24 से 32 और 48।

तालिका संख्या 07: मामलों में कुर्क संपत्ति के प्रकार का आयुक्तालय-वार विवरण				
प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ की संख्या)	धारा 281बी के तहत आदेश की संख्या	281बी मामलो की सं. जहां चल संपत्ति कुर्क की गई थी	281बी मामलो की सं. जहां अचल संपत्ति कुर्क की गई थी	281बी मामलो की सं. जहां दोनों प्रकार की संपत्ति कुर्क की गई थी
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-1, मुंबई (04)	9	0	9	0
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-3, मुंबई (05)	11	1	7	3
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-4, मुंबई (04)	16	0	16	0
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (06)	34	7	20	7
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (04)	34	4	26	4
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)- कोच्चि (02)	7	1	6	0
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)- बेंगलुरु (10)	30	7	19	4
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)- हैदराबाद (07)	25	4	21	0
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)- विशाखापट्टनम (01)	5	3	0	2
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)- अहमदाबाद (05)	33	2	30	1
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)- राजस्थान (01)	3	0	3	0
प्र.सी.आई.टी. (केन्द्रीय)- चंडीगढ़ (02)	22	2	19	1
कुल	350	42	269	39

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 350 मामलों में से 269 में, विभाग ने अनंतिम रूप से अचल संपत्तियों को कुर्क किया; तथापि, प्र. सीआईटी (केन्द्रीय-2) कोलकाता और प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापट्टनम प्रभार के अंतर्गत, नमूना जांच किए गए सभी मामलों में केवल चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्व के हितों को अधिक सुरक्षित करने के लिए अनंतिम कुर्की के लिए विभाग द्वारा अचल संपत्ति को बड़े पैमाने पर वरीयता दी गई।

अनंतिम कुर्की के लिए उपयुक्त संपत्ति के चयन की प्रक्रिया पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) **उपलब्ध संपत्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण:** 350 अनंतिम कुर्की मामलों के विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि एओ, अभिलेखों पर यह स्थापित/दस्तावेजीकरण किए बिना कि संपत्ति को सभी उपलब्ध संपत्तियों के तुलनात्मक विश्लेषण के बाद कुर्की के लिए चुना गया था, कुल मिलाकर

अनंतिम कुर्की के लिए संपत्ति(यों) का चयन कर रहे थे। 319 मामलों में, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं मिला कि निर्धारितियों के पास कुर्क की गई संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्ति भी थी और शेष 31 मामलों में, जहां इस तरह का विश्लेषण संभव था, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अभिलेखों में यह दर्ज नहीं था कि एओ ने कुर्क की जाने वाली संपत्ति का चयन करने से पहले इन संपत्तियों (*परिशिष्ट 15* में यथावर्णित) पर विचार किया। इसलिए, संबंधित एओ द्वारा अनंतिम कुर्की के लिए संपत्तियों का चयन, काफी हद तक उसके विवेकाधीन था और परिभाषित मानदंडों की अनुपस्थिति में, मनमाना चयन भी किया गया। कुछ महत्वपूर्ण निदर्शों मामलों नीचे दिए गए हैं:

(क) श्री वी1 के मामले में, नि.व.⁴⁵ 2012-13 से 2018-19 के लिए निर्धारण अधिकारी, केन्द्रीय सर्कल -1(3), बेंगलुरु द्वारा प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) बेंगलुरु प्रभार के अधिकार क्षेत्र में निर्धारण किया गया, अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत 21/09/2017 को तलाशी ली गई थी। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट (दिनांक इंगित नहीं की गई) के सारांश के अनुसार, तलाशी के दौरान नि.व. 2011-12 से 2018-19 से संबंधित ₹ 299.56 करोड़ की अघोषित आय का पता चला। राजस्व हितों की रक्षा के लिए, एओ द्वारा मैसर्स एम18 लिमिटेड के ₹ 447.95 करोड़ (₹ 850 प्रति शेयर की दर से) मूल्य के ₹ 52.70 लाख इक्विटी शेयरों को कुर्क करने के लिए धारा 281बी के अंतर्गत प्रारंभिक आदेश (25/01/2019) उस महीने, जिसमें तलाशी और जब्ती की कार्रवाई हुई थी, से 16 महीने के अंतराल के बाद जारी किया गया था, जिनके कारणों को दर्ज नहीं किया गया था, जो मूल्यांकन रिपोर्ट में निर्धारित की गई ₹ 447.44 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी को कवर करने के लिए पर्याप्त थे। अनंतिम कुर्की के एओ के प्रस्ताव (जनवरी 2019) के भाग के रूप में तैयार वर्ष-वार विवरण के अनुसार विभाग द्वारा ₹ 172.26 करोड़ (38.5 प्रतिशत) की अनुमानित देनदारी कर और ब्याज तथा अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत आय छिपाने के लिए

⁴⁵ समूह नि.व. सहित, तलाशी अवधि में नि.व. 2011-12 भी शामिल था, जिसके लिए धारा 147 के तहत पुनर्निर्धारण शुरू किया गया था और निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए समूह निर्धारण के साथ पूर्ण किया गया।

लगाए गए 275.18 करोड़ (62.5 प्रतिशत) की शास्ति शामिल थी, परिगणित की गई।

एओ के प्रस्ताव (जनवरी 2019) के भाग के रूप में अनंतिम कुर्की के तैयार वर्ष-वार विवरण के अनुसार, विभाग द्वारा ₹ 172.26 करोड़ (38.5 प्रतिशत) की अनुमानित कर देनदारी ₹ 275.18 करोड़ (62.5 प्रतिशत) परिगणित की गई। जिसमें अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत आय छिपाने के लिए लगाए गए कर और ब्याज एवं शास्ति शामिल है।

दिनांक 25/01/2019 की धारा 281बी के अंतर्गत जारी अनंतिम कुर्की आदेश प्राप्त होने पर, निर्धारिती ने एओ को सूचित किया (फरवरी 2019) कि उक्त शेयरों को पहले ही संस्थागत ऋणों के प्रति गिरवी रखा गया था और उक्त शेयरों की कुर्की से मुक्त करने का अनुरोध किया। इसके स्थान पर, निर्धारिती ने (फरवरी 2019) दो वैकल्पिक संपत्तियों की पेशकश की, जिसमें उनकी अपनी कंपनी (एक सूचीबद्ध कंपनी, मैसर्स सी16 लिमिटेड) के 46 लाख इक्विटी शेयर, जिनकी कीमत ₹ 125 करोड़ (प्रचलित बाजार दर के अनुसार अर्थात् ₹ 271.63 प्रति शेयर की दर से) और 2,220 एकड़ कॉफी एस्टेट (आंशिक रूप से स्वामित्व वाली और अन्य भूस्वामियों से आंशिक रूप से पट्टे पर ली गई) है, जिनका मूल्य लगभग ₹ 645.60 करोड़ है। एओ ने (फरवरी 2019) निर्धारिती के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उक्त अनंतिम कुर्की आदेश को रद्द कर दिया। तदोपरांत, एओ ने प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु की पूर्वानुमति से 13/02/2019 को धारा 281बी के तहत निर्धारिती के स्वामित्व वाले मैसर्स सी16 लिमिटेड के 46 लाख शेयरों (मूल्य 125 करोड़ रुपये) को कुर्क करने के लिए एक नया आदेश जारी किया। चूंकि यह ₹ 447.44 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी को कवर करने के लिए अपर्याप्त पाया गया था, इसलिए एओ ने 14/02/2019 को धारा 281बी के अंतर्गत निर्धारिती मैसर्स सी16 के 2.04 करोड़ अतिरिक्त शेयरों को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए एक और आदेश जारी किया। इस प्रकार, ₹ 447.44 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी की तुलना में ₹ 680.29 करोड़ (₹ 271.63 प्रति शेयर) मूल्य के कुल लगभग 2.50 करोड़ इक्विटी शेयर कुर्क किए गए। उपरोक्त अनंतिम कुर्की आदेशों को दिनांक 06/08/2019 के आदेश के माध्यम से छह महीने की

अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो अंततः 06/02/2020 को समाप्त हो गया था। इस बीच, संबंधित निर्धारण⁴⁶ दिसंबर 2019 में पूर्ण किए गए और ₹ 447.44 करोड़ की मूल अनुमानित कर देनदारी के प्रति ₹ 89.75 करोड़ की संचयी कर मांग (निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2018-19 के लिए की गई रिटर्न आय के अतिरिक्त) उठाई गई। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2015-16 के निर्धारण आदेश में सुधार के लिए जनवरी 2020 में धारा 154 के अंतर्गत जारी आदेश के परिणामस्वरूप मांग ₹ 89.75 करोड़ से घटाकर ₹57.85 करोड़ कर दी गई। निर्धारिती ने इन निर्धारणों के प्रति सीआईटी (अपील) के समक्ष (जनवरी 2020) अपील दायर की, जो अभी तक (जुलाई 2022) अधिनिर्णयन हेतु लंबित थी। तथापि, पूर्ण रूप से बकाया कर मांगों को ध्यान में रखते हुए, एओ ने मामले को कर वसूली अधिकारी (केंद्रीय) को प्रेषित कर दिया, जिन्होंने इसके स्थान पर, अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत यथा निर्धारित दिनांक 06/02/2020 को पारित फॉर्म आईटीसीपी-4 में निषेधात्मक आदेश के अंतर्गत मैसर्स सी16 के 2.50 करोड़ इक्विटी शेयरों की कुर्की को नियमित रखा, जो अभी तक (जुलाई 2022) जारी है। अनंतिम कुर्की आदेशों और लेखापरीक्षा को प्रस्तुत निर्धारण रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ की गईं:

(i) प्र.सी.आईटी.(केन्द्रीय), बेंगलुरु ने डीजीआईटी (जांच), बेंगलुरु को दिनांक 22/04/2021 को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि, “तलाशी और पश्च-तलाशी जांच के दौरान निर्धारिती से संबंधित विभिन्न मुद्दे पाए गए और स्पष्टीकरण के लिए निर्धारिती के समक्ष उठाए गए। निर्धारिती ने ₹ 362.11 करोड़ की अतिरिक्त आय को स्वीकार किया। तथापि, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए धारा 148 और निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2017-18 के लिए धारा 153ए के अंतर्गत जारी नोटिस के जवाब में दाखिल आय विवरणी⁴⁷ में आय प्रस्तुत नहीं की।” अनंतिम कुर्की के प्रयोजन के लिए

⁴⁶ निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए धारा 147 के अंतर्गत और निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए धारा 153ए/143(3) के अंतर्गत।

⁴⁷ निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए: धारा 148 के अंतर्गत दिनांक 29/03/2018 के नोटिस के उत्तर में 26/04/2018 को दाखिल की गई आय विवरणी (03/04/2018 को निर्धारिती को दिया गया; निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2017-18 के लिए: धारा 153ए के अंतर्गत 14/11/2018 के नोटिस के उत्तर में 31/12/2018 को दाखिल आय विवरणी; निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए: धारा 139(1) के अंतर्गत 31/08/2018 को दाखिल आय विवरणी

अनुमानित कर देयता (₹ 447.44 करोड़) की मात्रा निर्धारित करते समय, अघोषित आय को ₹ 362.11 करोड़ के बजाय केवल 299.56 करोड़ माना गया था। लेखापरीक्षा तलाशी के दौरान पाई गई अघोषित आय की मात्रा की पहचान करने में कमी (₹ 62.55 करोड़) के कारणों का पता नहीं लगा सकी, क्योंकि बार-बार अनुरोध करने (दिसंबर 2020 और जुलाई 2022) के बावजूद तलाशी के दौरान पाई गई आय का विस्तृत विवरण वाली मूल्यांकन रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(ii) ₹ 447.44 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी के प्रति, संपत्ति का मूल्य (₹ 447.95 करोड़ मूल्य के मैसर्स एम18 लिमिटेड के इक्विटी शेयर) जिसे शुरू में कुर्क और करदाता की जानकारी के आधार पर रद्द कर दिया गया था, अनुमानित कर देयता को कवर करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन अंततः जब्त की गई संपत्ति अर्थात् मैसर्स सी16 लिमिटेड के 2.50 करोड़ इक्विटी शेयर, ₹ 680.29 करोड़ काफी अधिक थी। तथापि, किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए विशिष्ट कारण अभिलेखित नहीं थे, जो न केवल अत्यधिक उच्च मूल्य का था, बल्कि सितंबर 2004 के बोर्ड के अनुदेशों के अनुरूप भी नहीं था अर्थात् एओ अनंतिम रूप से उन संपत्ति(यों) को कुर्क करेगा जो अनुमानित कर देयता को कवर करने के लिए 'पर्याप्त' होगी।

(iii) लेखापरीक्षा में इसके अतिरिक्त पाया गया कि शेयरों और प्रतिभूतियों (₹ 840.10 करोड़ मूल्य) के अतिरिक्त, निर्धारिती ने अपने स्वामित्व वाली अन्य संपत्तियों जैसे कि भवनों सहित कॉफी एस्टेट (₹ 92.49 करोड़) और चल संपत्ति जैसे आभूषण, पुरातात्विक संग्रह आदि (कुल ₹ 44 करोड़) का विवरण प्रस्तुत किया था। एओ ने चल संपत्ति (अर्थात् इक्विटी शेयर) को अनंतिम रूप से (फरवरी 2019) कुर्क करने का विकल्प चुना। संयोगवश, कुर्की आदेश (25/01/2019) को रद्द करने और धारा 281बी के अंतर्गत नया आदेश जारी करने के लिए एओ के प्रस्ताव (13/02/2019) को मंजूरी देते हुए, प्र.सी.आई.टी.(केन्द्रीय), बेंगलुरु ने अन्य बातों के साथ-साथ एओ को अनुदेश दिया कि वह "मैसर्स एम18 लिमिटेड शेयरों की पूर्व कुर्की को रद्द करने के एओ के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए श्री वी1 के शेष बचे शेयरों (अर्थात् मैसर्स सी16 लिमिटेड के 2.04 करोड़ इक्विटी शेयर) या धारा 281बी के

अंतर्गत विस्तारित कुर्की के लिए उपलब्ध किसी अन्य संपत्ति पर विचार करे"। तथापि, लेखापरीक्षा में प्र. सीआईटी के वर्तमान अनुदेशों के अनुपालन का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ अर्थात् स्वयं निर्धारिती द्वारा कुर्की के लिए प्रस्तुत की गई परिसंपत्तियों और रिकार्ड पर उपलब्ध अन्य परिसंपत्तियों के बीच एओ द्वारा किया गया तुलनात्मक विश्लेषण। इसके अतिरिक्त, एओ द्वारा कुर्की के लिए मैसर्स सी16 लिमिटेड के इक्विटी शेयरों का अंतिम रूप से चयन करने का कोई विशिष्ट कारण दर्ज नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में, एओ ने (दिसंबर 2020) अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि उन्होंने कहा, "निर्धारिती के दावे के अनुसार, प्रस्तुत संपत्ति का भाग न तो उसके स्वामित्व में है और न ही मैसर्स सी16 लिमिटेड के पास है। मात्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से स्वामित्व की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। जैसा कि, आयकर कार्यवाही और प्राधिकरण नियम आबद्ध करते हैं, इस तरह के वैकल्पिक स्वामित्व प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। एक एकड़ संपत्ति का निर्धारिती द्वारा किया गया मूल्यांकन लगभग 27 लाख है, जो मौजूदा बाजार स्थितियों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। सम्पदा का एक हिस्सा साझेदारी फर्मों का है और वो पहले से ही ऋणग्रस्त संपदा हैं। इसके अतिरिक्त, शेयरों के रूप में परिसंपत्तियों को पहले ही अनुमानित कर देयता की सीमा तक कुर्क किया जा चुका है, ऐसी परिसंपत्तियों हिस्सा फ्रीहोल्ड प्रकृति का है। नियमानुसार, संपत्ति के समूह के लिए कोई पदानुक्रम नहीं है, एओ ने तथ्यों और व्यावहारिक सीमाओं के आधार पर निर्णय लिया है।" एओ का उत्तर अभिलेखों द्वारा समर्थित नहीं था क्योंकि इस बात का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था कि मैसर्स सी16 लिमिटेड की वर्तमान वित्तीय स्थिति के संदर्भ में मैसर्स सी16 लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के वसूली योग्य मूल्य की तुलना में स्वामित्व आवश्यकताओं और मूल्यांकन के लिए निर्धारिती की कॉफी एस्टेट की पेशकश का पर्याप्त मूल्यांकन किया गया था। लेखापरीक्षा इस तथ्य को स्वीकार करती है कि कुर्की के लिए संपत्ति का चयन एओ के विवेकाधीन है। तथापि, संभावित संपत्तियों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है

कि सबसे उपयुक्त संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया तर्क आधारित थी और यह कि राजस्व हित यथानिर्धारित सुरक्षित है।

(iv) लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 172.26 करोड़ (कर और ब्याज) की मूल अनुमानित कर देनदारी (₹ 275.18 करोड़ के जुर्माने को छोड़कर) के विरुद्ध, ₹ 57.85 करोड़ की संचयी कर मांग (सुधार आदेश का शुद्ध) अंततः दिसंबर 2019/जनवरी 2020 में उठाई गई थी, जो अनुमानित देनदारी से काफी कम है, जिसके आधार पर अनंतिम कुर्की किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ₹ 275.18 करोड़ की अनुमानित शास्ति राशि के विरुद्ध, कोई मांग नहीं की गई थी।

अनुमानित कर देनदारी और वास्तव में उठाई गई मांग के बीच बड़े अंतर के लिए विशिष्ट कारणों की मांग करने वाले लेखापरीक्षा प्रश्न (जुलाई 2022) पर, निर्धारण अधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर दिया (जुलाई 2022), कि "मूल्यांकन प्रतिवेदन में किया गया अनुमान केवल सांकेतिक है और मूल्यांकन प्रतिवेदन में निष्कर्ष वास्तव में निर्णायक नहीं हैं। परिवर्धन की सही मात्रा निर्धारिती के उत्तर के साथ आपत्तिजनक सामग्री की जांच के बाद निर्धारण के दौरान निकाली जाती है।" निर्धारण अधिकारी ने यह भी कहा कि ₹ 299.56 करोड़ की अघोषित आय (निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2018-19 के लिए संचयी) में मुख्य रूप से एक समूह कंपनी⁴⁸ द्वारा निर्धारिती को नकद में किया गया ब्याज भुगतान शामिल है (निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान) और निर्धारण वर्ष 2012-13 से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान उचित बाजार मूल्य से कम ₹ 204.69 करोड़ पर शेयरों की खरीद। शास्ति लगाने के संबंध में, निर्धारण अधिकारी ने कहा कि शास्ति का उद्ग्रहण स्थगन रखा गया था क्योंकि निर्धारिती सीआईटी (अपील) में है। निर्धारण अधिकारी ने आगे कहा कि परिक्षण निर्धारण के लिए जारी किए गए सीबीडीटी दिशानिर्देश⁴⁹ दिनांक 22/12/2006 के अनुसार, यदि निर्धारण अधिकारी मूल्यांकन प्रतिवेदन में निकाले गए किसी निष्कर्ष/अंत से सहमत नहीं है, तो एक विचलन नोट जांच विंग को लिखा जाना चाहिए, जो इसे

⁴⁸ मैसर्स एम17 लिमिटेड

⁴⁹ एफ. संख्या 286/161/2006-आईटी (अन्वे.॥) में दिनांक 22/12/2006 की और जब्ती मामलों में निर्धारण के लिए सीबीडीटी दिशानिर्देश

संबंधित जांच अधिकारी के साथ सुलझाएगा। तदनुसार, निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 (निर्धारण वर्ष 2011-12), सितंबर और दिसंबर 2019 (निर्धारण वर्ष 2012-13), दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 (निर्धारण वर्ष 2013-14) और नवंबर 2019 (निर्धारण वर्ष 2015-16) में विचलन नोट प्रस्तुत किया था। हालांकि, तलाशी की तिथि (सितंबर 2017) और विचलन नोट (दिसंबर 2018) के पहले की तिथि के बीच 14 महीने से अधिक के समय-अंतराल के कारण अभिलेख में नहीं थे, यह न्यायोचित ठहराने के लिए कि या तो निर्धारण वर्ष 2011-12 और 2012-13 में कुछ वर्धन नहीं है या निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2015-16 में आंशिक वृद्धि हुई।

जैसा कि जांच विंग (दिसंबर 2018) द्वारा सुझाव दिया गया था, निर्धारिती का मामला (28/12/2018) अधिनियम की धारा 142(2ए) के तहत निर्धारित विशेष लेखापरीक्षा को संदर्भित किया गया था। उल्लेखनीय है कि दिनांक 25/01/2019 को जारी धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश विचलन नोट और विशेष लेखापरीक्षा (दिसंबर 2018) के संदर्भ के बाद जारी किया गया था, लेकिन विशेष लेखापरीक्षा के परिणाम लंबित थे। दिनांक 22/06/2019 की विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, यह निष्कर्ष निकाला गया था कि किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती या मैसर्स एम17 के हाथों कोई देयता उत्पन्न नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, जांच विंग (दिसंबर 2018/ अक्टूबर और नवंबर 2019) से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर, निर्धारण (दिसंबर 2019) निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2015-16 के लिए परिक्षण कार्यवाही के दौरान मिली अघोषित आय के मुद्दों पर बिना किसी वर्धन के पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2014-15, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के संबंध में, निर्धारण अधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध विवरण के आधार पर, तलाशी के दौरान पाई गई अघोषित आय की मात्रा से अधिक वर्धन किया था। हालांकि, उक्त विचलन नोट की प्रति या जांच विंग की उस पर प्रतिक्रिया और विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, गोपनीयता के कथित कारणों से, बार-बार अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा की राय है कि जांच विंग के निष्कर्षों (मूल्यांकन प्रतिवेदन के माध्यम से) के आधार पर धारा 281बी के प्रावधानों को लागू करने और निर्धारिती की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्की करने में निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई विधायी मंशा के अनुरूप थी। हालांकि, सहायक दस्तावेजों के प्रस्तुति के अभाव में जैसे मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रति, विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति और विचलन नोट या उस पर जांच विंग की प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में आश्वासन नहीं ले सका:

(अ) तलाशी और जब्ती (21/09/2017) के संचालन और धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश 25/01/2019 को जारी करने के बीच समय अंतराल के कारण, और घटनाओं का विस्तृत क्रम तक पहला विचलन नोट (दिसंबर 2018) जारी करना लेखापरीक्षा के लिए स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा मूल्यांकन प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और इसे संबंधित प्र.सीआईटी (केंद्रीय) को अग्रोषित करने में लगने वाले समय को सत्यापित नहीं कर सका, क्योंकि संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

(ब) तलाशी के दौरान मिली अघोषित आय की मात्रा को ₹ 362.11 करोड़ से घटाकर ₹ 299.56 करोड़ करने के विशिष्ट कारण, जिसके आधार पर अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया शुरू करते समय ₹ 447.44 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी निर्धारित की गई थी;

(स) प्र. सीआईटी (केंद्रीय), बंगलुरु के निर्देशों के अनुसार धारा 281बी के तहत कुर्की के लिए उपलब्ध किसी अन्य संपत्ति पर विचार करने के लिए जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित, अनंतिम कुर्की/अभिलेख पर उपलब्ध के लिए निर्धारिती द्वारा प्रस्तावित विभिन्न परिसंपत्तियों का मूल्यांकन और तुलनात्मक विश्लेषण;

(द) ₹ 447.44 करोड़ की अनुमानित कर देयता के प्रति ₹ 680.29 करोड़ की संपत्ति कुर्की करने का औचित्य, जो अत्यधिक था और बोर्ड के प्रासंगिक निर्देशों का उल्लंघन भी था (सितम्बर 2004);

(इ) निर्धारण वर्ष 2011-12 (₹ 0.81 करोड़), 2012-13 (₹ 207.30 करोड़), 2013-14 (₹ 7.23 करोड़)⁵⁰ और 2015-16 (₹ 2.79 करोड़) के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा कुल ₹ 218.13 करोड़ की अघोषित आय के लिए 'गैर-कर योग्य' या 'निर्धारिती के हाथों उत्पन्न होने वाली कोई गैर-देनदारी' के रूप में निष्कर्ष निकालने का औचित्य, जिसके परिणामस्वरूप अंततः निर्धारिती की कर देयता में कमी (₹ 114.41 करोड़) हुई, जिसका अनुमान ₹ 172.26 करोड़ (शास्ति को छोड़कर) मात्र ₹ 57.85 करोड़ की कर मांग का निर्धारण करने के लिए था।

इस प्रकार, अंतिम कर मांग की तुलना में अनुमानित कर देनदारी में महत्वपूर्ण कमी पर विचार करते हुए, जो अपील के लंबित रहने के कारण आज (अगस्त 2022) तक वसूल नहीं की गई, अधिनियम की धारा 281बी के तहत ₹ 680.29 करोड़ की अनंतिम कुर्की प्रावधानों को लागू किया गया लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर यह मामला न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त, प्रासंगिक दस्तावेजों जहाँ विचलन नोट की प्रति और जांच विंग की प्रतिक्रिया और विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के गैर-प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा यह आश्वासन नहीं दे सका कि विभाग द्वारा की गई कार्रवाई राजस्व की रक्षा के हित में थी।

(ख) मैसर्स एस7 प्रा. ली. के तलाशी निर्धारण मामलों में निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2017-18 के लिए केन्द्रीय सर्किल, पणजी, गोवा में प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) बेंगलुरु के अधिकार क्षेत्र के तहत किया गया, धारा 281बी के तहत चल संपत्तियों अर्थात् कुल ₹ 2.88 करोड़ का म्युचुअल फंड को ₹ 31.13 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी के विरुद्ध कुर्की करने के लिए शुरू में मार्च 2020 में आदेश जारी किया गया था। धारा 281बी के तहत एक अन्य आदेश अगस्त 2020 में ₹ 52.90 करोड़ की 10 अचल संपत्तियों को कुर्की करने का आदेश जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि बाद के विस्तार आदेश (अक्टूबर 2020) में केवल म्युचुअल फंड की चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्की किया जाना जारी रहा। हालांकि, अचल संपत्तियों के संबंध में कुर्की आदेश, जो प्रारंभ में अगस्त 2020 में जारी किया गया था, को

⁵⁰ वर्ष 2013-14: अघोषित आय (₹ 19.69 करोड़) घटा कर निर्धारित आय (₹ 12.46 करोड़)

निर्धारित प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के बावजूद नहीं बढ़ाया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (मार्च 2021), निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया (जून 2021) कि अचल संपत्ति और म्युचुअल फंड की कुर्की क्रमशः फरवरी और अप्रैल 2021 में आगे बढ़ा दी गई थी। हालांकि, निर्धारण अधिकारी द्वारा न तो इसके समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था और न ही यह अभिलेखों में उपलब्ध था। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निर्धारिती के वित्तीय विवरणों से लेखापरीक्षा ने देखा कि, निर्धारिती के पास ₹ 110.42 करोड़ मूल्य की गैर-तात्कालिक परिसंपत्ति। हालांकि, ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे कि यह पता चले कि निर्धारण अधिकारी ने कुर्की के लिए म्युचुअल फंड का चयन करने से पहले इन संपत्तियों की उपयुक्तता पर विचार किया था। लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2022) कि इस मामले में कर निर्धारण जून 2021 में पूरा कर लिया गया था और ₹ 0.14 करोड़ की संचयी मांग उठाई गई थी, जिसे फरवरी 2022 में सुधार आदेश पारित करने के बाद ही घटाकर ₹ 0.04 लाख कर दिया गया था। शेष कर के वसूली की वर्तमान स्थिति सीबीडीटी से प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

इस प्रकार, जैसा कि पूर्वोक्त चर्चा किए गए मामलों से देखा जा सकता है, ऐसे मामलों में जहां संबंधित निर्धारितियों के पास अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों की तुलना में अन्य संपत्ति होने का सबूत था, निर्धारण अधिकारी सभी उपलब्ध संपत्तियों का दस्तावेजी तुलनात्मक विश्लेषण नहीं कर रहे थे जिससे अनुमानित कर देयता के पर्याप्त कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त और साथ ही पर्याप्त सम्पत्तियों का चयन किया जा सके।

(ii) **बैंक खातों की कुर्की:** अदालतों ने कई केस कानूनों के माध्यम से निर्धारिती के बैंक खातों को अनंतिम रूप से कुर्की करने की विभाग की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। एक मामले में, *अर्थात्*, मैसर्स गांधी ट्रेडिंग बनाम सहायक आयकर आयुक्त⁵¹, माननीय बंबई उच्च न्यायालय ने *अन्य बातों के साथ-साथ*, कहा कि "बैंक खातों और व्यापारिक संपत्तियों की कुर्की का सहारा केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए"। लेखापरीक्षा ने

⁵¹ मामला कानून संख्या 239 आईटीआर 337 दिनांक 7 जुलाई 1999।

पाया कि 32 मामलों में, संबंधित निर्धारितियों के बैंक खातों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था (विवरण **परिशिष्ट 16** में दिया गया है)। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 32 मामलों में से 14 मामलों में, केवल निर्धारितियों के बैंक खातों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि इन 14 मामलों में से दो⁵² में अन्य संपत्तियां भी अभिलेख में उपलब्ध थीं। हालांकि, लेखापरीक्षा उपलब्ध अभिलेखों से यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या उन संपत्तियों को अनंतिम कुर्की के उद्देश्य के लिए विचार किया गया था। शेष 18 मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने अन्य संपत्तियों (चल और/या अचल) के अतिरिक्त बैंक खातों को कुर्की किया था।

लेखापरीक्षा अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों से यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि उपरोक्त 32 मामलों में निर्धारितियों के बैंक खाते केवल अंतिम उपाय के रूप में अनंतिम रूप से कुर्क थे। महत्वपूर्ण मामलों की व्याख्या नीचे की गई है।

(क) श्री आर1 के तलाशी निर्धारण मामले में प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बंगलुरु के अधिकार क्षेत्र के तहत केन्द्रीय सर्किल-1(3), बंगलुरु में निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारण किया गया, धारा 281बी के तहत, ₹ 3.90 करोड़ के संचयी क्रेडिट बैलेंस वाले तीन बैंक खातों और 37 अचल संपत्तियों जिनमें से केवल 32 संपत्तियों के लिए मूल्य दर्ज किया गया था जो कुल मिलाकर ₹ 14.69 करोड़ थी, को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किया गया था (दिसंबर 2017)। इस प्रकार, ₹ 8 करोड़ से अधिक की दर्ज अनुमानित कर देनदारी (कर एवं ब्याज सहित लेकिन शास्ति को छोड़कर) के विरुद्ध कुर्की की गई चल और अचल संपत्तियों का कुल मूल्य ₹ 18.59 करोड़ था। इससे, यह प्रतीत होता है कि जिन संपत्तियों का मूल्य दर्ज किया गया था, वे अनुमानित कर देनदारी को कवर करने के लिए पर्याप्त से अधिक थीं और बैंक खातों को कुर्क करने की कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं थी, साथ ही शेष पांच संपत्तियों (मूल्य दर्ज नहीं किया गया), जिससे अत्यधिक कुर्की का संकेत होना मिलता है। इस मामले में,

⁵² एम7 ट्रस्ट - केन्द्रीय सर्कल 1(4), अहमदाबाद प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में और श्री वी3 - केन्द्रीय सर्कल 1(1), चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में (केन्द्रीय)-1, चेन्नई

शास्ति को छोड़कर ₹ 10.68 करोड़ की कर मांग बनाकर निर्धारण पूरा किया गया (दिसंबर 2017)। फरवरी 2021 तक, संपूर्ण कर मांग वसूली के लिए लंबित थी, जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे। लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर में, निर्धारण अधिकारी ने कहा (जून 2021) कि मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुमान से उत्पन्न लेखापरीक्षा द्वारा अनुमानित कर देयता निर्धारण कार्यवाही के दौरान संभावित शास्ति पर विचार नहीं करती है। साथ ही, निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान उठाई गई वास्तविक मांग धारा 281बी के तहत कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी और न ही करनी चाहिए। जबकि लेखापरीक्षा इस तथ्य को स्वीकार करता है कि निर्धारण के बाद की कर मांग का पूर्व-मूल्यांकन 281बी प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथ्य यह है कि बोर्ड के निर्देश (सितंबर 2004) संलग्न संपत्ति के मूल्य की कर देयता के साथ तुलना करने की परिकल्पना करते हैं जो कि संलग्न संपत्ति की पर्याप्तता या अन्यथा निर्धारित करने के लिए उस तिथि पर अनुमानित है। मौजूदा मामले में, पर्याप्त मूल्य से अधिक की कुर्की कानून के दायरे और मंशा से परे थी। साथ ही, बैंक खातों की कुर्की न्यायिक निर्णयों के विपरीत थी और निर्धारिती की अपनी कर देनदारी, यदि कोई हो, को चुकाने की क्षमता को भी प्रभावित करती थी। निर्धारिती ने 22/01/2018 को निर्धारण आदेशों के विरुद्ध सीआईटी (अपील) को अपील की थी, जो अभी भी लंबित है (जुलाई 2022)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

(ख) मैसर्स एम7 ट्रस्ट के तलाशी निर्धारण मामले में निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 के लिए ने केन्द्रीय सर्किल-1(4) अहमदाबाद में प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में ₹ 0.58 करोड़ की शेष राशि वाले पांच बैंक खातों को, धारा 281बी के तहत कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था (अगस्त 2017)। धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की से संबंधित अभिलेख में न तो अनुमानित कर देनदारी और न ही अघोषित आय की मात्रा थी। सितंबर 2017 में तलाशी निर्धारण पूरा होने पर ₹ 1,248.71 करोड़ की संचयी कर मांग की गई थी। निर्धारण के विरुद्ध निर्धारिती की अपील पर, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा राहत की अनुमति देते हुए

थी, शुद्ध कर मांग को घटाकर ₹ 288.06 करोड़ कर दिया गया था। मार्च 2015 में समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों के अनुसार, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती के पास अन्य चल और अचल संपत्ति (₹ 1.59 करोड़ का बुक वैल्यू) था, लेकिन उन्हें कुर्की के लिए नहीं विचार किया गया था। अन्य संपत्तियों की उपलब्धता के बावजूद कुर्की के लिए बैंक खातों के चयन के औचित्य को स्थापित करने वाले अभिलेख पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी 2021) कि धारा 281बी के तहत आदेश समाप्त हो गया था और निर्धारण के विरुद्ध अपीलीय निर्णयों (मार्च-सितंबर 2019) के बाद निर्धारिती से ₹ 1.73 करोड़ की वसूली के बाद कर की मांग अभी भी ₹ 286.33 करोड़ की सीमा तक बकाया थी। उत्तर और बकाया कर मांगों की वसूली की वर्तमान स्थिति मंत्रालय/सीबीडीटी से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।

इस प्रकार, पूर्वोक्त चर्चा किए गए मामलों में, निर्धारण अधिकारी की ओर से उचित लगन को यह दिखाने के लिए प्रलेखित नहीं किया गया था कि बैंक खातों को अंतिम उपाय के रूप में कुर्क किया गया था। यह न केवल न्यायिक निर्णयों के विपरीत था बल्कि निर्धारितियों की अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने की क्षमता के साथ-साथ कर देनदारियों को पूरा करने की उनकी वित्तीय क्षमता को भी बाधित करता था। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट है कि संपत्ति के प्रकार को परिभाषित करने के लिए कोई संस्थागत मार्गदर्शन नहीं है जिसे अनंतिम रूप से कुर्क किया जा सकता है या चयन के लिए संपत्ति के पदानुक्रम/प्राथमिकता को निर्धारित किया जा सकता है।

सिफारिश संख्या 5:

सीबीडीटी राजस्व के हित को अधिकतम करने के उद्देश्य से उपयुक्त और पर्याप्त संपत्ति के चयन की सुविधा के लिए निर्धारिती के पास उपलब्ध सभी संपत्ति(यों) के विवरण का पता लगाने और अभिलेख करने में निर्धारण अधिकारी की सुविधा के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश ला सकता है।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि सीबीडीटी ने पहले ही 02/09/2004 का निर्देश संख्या 8 जारी कर दिया है। हालांकि, लेखापरीक्षा के सुझाव को नोट कर लिया गया है और आगे इसकी जांच की जाएगी।

लेखापरीक्षा इस संबंध में की गई कार्रवाई के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करेगी।

4.3 अनंतिम कुर्की के लिए निर्धारिती के स्वामित्व वाली संपत्तियों की पहचान में कमियां

अधिनियम की धारा 281बी(1), अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित करती है कि निर्धारिती से संबंधित किसी भी संपत्ति को राजस्व की सुरक्षा के लिए अनंतिम रूप से कुर्की किया जा सकता है। इसलिए सीबीडीटी और इसके गठन के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनंतिम रूप से कुर्की के लिए चुनी जा रही संपत्ति निर्धारिती की है। इस उद्देश्य के लिए, निर्धारण अधिकारी को जांच विंग द्वारा जारी मूल्यांकन प्रतिवेदन में सूचीबद्ध संपत्तियों के विवरण पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी के पास वर्तमान में तलाशी की तिथि से अनंतिम कुर्क जारी करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है (हालांकि लेखापरीक्षा ने पैरा 5.1.4 में एक उचित समय सीमा शुरू करने की सिफारिश की है)। इस प्रकार निर्धारण अधिकारी के पास कुर्की के लिए निर्धारिती के स्वामित्व वाली संपत्तियों की उचित पहचान करने के लिए और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अनंतिम कुर्की के लिए निर्धारिती के स्वामित्व वाली संपत्तियों की पहचान में कमियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को बाद के पैराग्राफों में सविस्तारित किया गया है।

(i) **संपत्ति का स्वामित्व:** 350 लेखापरीक्षित मामलों में से, लेखापरीक्षा ने देखा कि केंद्रीय आयुक्तालय प्रभारों के तहत 278 मामलों में, संबंधित निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की से संबंधित अभिलेख में विशिष्ट उल्लेख किया था कि कुर्क संपत्ति कुर्की की तिथि को या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से निर्धारिती के नाम पर थी। इनमें से एक मामले में, निर्धारण अधिकारी ने पंजीकरण अधिकारियों से स्वामित्व की पुष्टि प्राप्त की थी, जबकि अन्य 277 मामलों में, स्वामित्व की पुष्टि का कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था। लेखापरीक्षा दर्ज करती है कि पंजीकरण प्राधिकारियों या अन्य प्राधिकारियों (जैसे बैंकिंग प्राधिकारियों) से स्वामित्व (या

उसके भार) की पुष्टि करने के प्रयासों में एक जोखिम होता है कि निर्धारिती आसन्न अनंतिम कुर्की की संभावना पर संदेह कर सकता है और इस तरह की कुर्की को प्रस्तुत करने के लिए संपत्ति को तुरंत बेच या स्थानांतरित कर सकता है और इस तरह कुर्की को अनावश्यक बना देते हैं, ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब तलाशी की कार्यवाही की तिथि से एक बड़ा समय अंतराल होता है। इसलिए, मूल्यांकन प्रतिवेदन में संपत्तियों से संबंधित जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीच की अवधि में संपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण के जोखिम को कम करने के लिए तलाशी की कार्यवाही के बाद त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

पूर्वोक्त 278 लेखापरीक्षित मामलों में से सात में, संबंधित निर्धारितियों के पास अनंतिम कुर्की की तिथि तक कुर्की की गई संपत्ति का स्वामित्व नहीं था। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

(क) प्र.सीआईटी (केंद्रीय), बेंगलुरु प्रभार के तहत केंद्रीय सर्किल-1(3), बेंगलुरु द्वारा निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2018-19 के लिए निर्धारिती श्री टी1 के तलाशी निर्धारण मामले में धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश 15/07/2019 को ₹ 3.75 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी के खिलाफ कुर्क की गई संपत्तियों के मूल्यांकन को इंगित किए बिना अनंतिम रूप से छह अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने अनंतिम कुर्की के अभिलेख से देखा कि उपरोक्त छह कुर्की संपत्तियों में से चार या तो निर्धारिती के नाम पर नहीं थीं या उनका एकमात्र स्वामित्व नहीं था। यह देखा गया कि धारा 281बी के तहत आदेश जारी होने से पहले इन चार संपत्तियों में से एक को 06/01/2014 को बेच दिया गया था। यह भी देखा गया कि एक अन्य कुर्क संपत्ति, एक आवासीय भवन, जिसमें कई इकाइयाँ हैं, जिनमें से कुछ इकाइयाँ 281बी प्रस्ताव की तिथि से बहुत पहले ही अन्य पार्टियों को बेच दी गई थीं।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि धारा 281बी के तहत आदेश जारी करने से तीन दिन पहले 12/07/2019 को पारिवारिक समझौता विलेख निष्पादित करके इन चार संपत्तियों में से शेष दो का स्वत्वाधिकार हक और हित जारी किया गया था। हालांकि ये जानकारी उप-पंजीयक अधिकारी इंदिरानगर, बेंगलुरु से

20/08/2019 को प्राप्त होने के बावजूद निर्धारण अधिकारी ने धारा 281बी के तहत आदेश को चार बार (जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 और जुलाई 2021) बढ़ाया। निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता का विस्तार करते समय उचित सावधानी की कमी के परिणामस्वरूप ऐसी संपत्तियों की अनंतिम कुर्की जारी रही जो निर्धारितियों से संबंधित नहीं थी।

निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया (जून 2021), कि "जैसा कि कुर्की प्रस्तावों में विस्तार से बताया गया है, संपत्तियों की सूची और उनका मूल्यांकन भरा गया है, कुर्की का इरादा निर्धारिती की मौजूदा संपत्तियों पर एक ग्रहणाधिकार बनाना है। निर्धारिती अचल संपत्ति के व्यवसाय में है और उसने अपनी कुछ संपत्तियों को पूंजीगत संपत्ति के रूप में रखा और बेचा है, वही पूंजीकरण और लेनदेन के विभिन्न चरणों में हैं, तदनुसार, ज्ञात संपत्तियों पर प्राथमिक या दूसरा ग्रहणाधिकार बनाने का प्रयास राजस्व के हितों की रक्षा के लिए एक तात्कालिक आधार पर किया गया।"

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि धारा 281बी के तहत आदेश में कुर्क संपत्तियां उनके विस्तार आदेशों सहित निर्धारिती से संबंधित नहीं थीं और इसलिए मौजूदा मामले में राजस्व के हितों के लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निर्धारण जुलाई 2021 में पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 91.83 करोड़ की संचयी मांग बनाई गई थी, जिसके विरुद्ध निर्धारिती ने 30/04/2022 को अपील की, जो लंबित (जुलाई 2022) थी।

कुर्क संपत्तियों पर निर्धारितियों के स्वामित्व को सुनिश्चित किए बिना किए गए अनंतिम कुर्की के अन्य छह मामले **परिशिष्ट 17** में दिए गए हैं।

इस प्रकार, इन मामलों में अनंतिम कुर्की के लिए चयनित संपत्तियों के स्वामित्व की स्थिति के आवश्यक सत्यापन की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप उन संपत्तियों की कुर्की हुई जो संबंधित निर्धारितियों के अधिकार में नहीं था, जिससे इन संपत्तियों को कुर्की करने का उद्देश्य विफल हो गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

(ii) ऋण-भार-रहितता और संपत्ति की प्रकृति: लेखापरीक्षा ने पाया कि 343 मामलों में, संपत्ति के ऋणभार की स्थिति अभिलेखों से सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। संपत्ति(यों) के ऋण-भार को सुनिश्चित करने के प्रयास केवल सात मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किए जा सके। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इन मामलों में कुर्क संपत्तियां आंशिक रूप से (दो मामले)/पूरी तरह से (पांच मामले) धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की की तिथि से पहले ऋण-भारग्रस्त थीं। सात मामलों में से पांच मामलों का विवरण **परिशिष्ट 18** में दिया गया है और दो मामलों की व्याख्या नीचे की गई है:

(क) श्री पी8 और उनकी पत्नी श्रीमति आर29 के एक तलाशी निर्धारण मामले का निर्धारण, नि.व. 2013-14 से 2018-19 के लिए केन्द्रीय सर्किल-1(2), बंगलुरु द्वारा प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बंगलुरु चार्ज के तहत किया गया, धारा 281बी के तहत ₹ 3.07 करोड़ की कुल अनुमानित कर देयता (शास्ति और ब्याज को छोड़कर) जैसा कि धारा 281बी के तहत आदेश के प्रस्ताव में दर्शाए गए थे, के विरुद्ध प्रारंभिक आदेश उनकी संबंधित चल संपत्तियों बचत बैंक (एसबी) खाते में सावधि जमा (एफडी) और क्रेडिट बैलेंस, जिसका संचयी मूल्य ₹ 2.01 करोड़ था, को अनंतिम रूप से कुर्की करने के लिए जारी किए गए थे (जुलाई 2019)। दिसंबर 2019 में, श्री पी8 ने निर्धारण अधिकारी से कुर्की आदेश को रद्द करने और एफडी और एसबी खातों को जारी करने का अनुरोध किया ताकि वह अपने बकाया कर का भुगतान कर सकें। निर्धारिती के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था और निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के तहत आदेशों को दो बार (जनवरी और सितंबर 2020) आगे बढ़ाया गया था। हालांकि, अधिसूचित प्राधिकरण अर्थात् बैंक प्रबंधक ने एफडी की भारग्रस्तता स्थिति के निर्धारण अधिकारी को सूचित किया (सितंबर 2020) और जीएसटी विभाग द्वारा इन खातों की मौजूदा कुर्कता पर विचार करते हुए कर बकाया के विरुद्ध शेष राशि को प्रेषित करने में असमर्थता व्यक्त की (मार्च 2018)।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि निर्धारण अधिकारी ने संपत्ति कुर्की करते समय संपत्ति की ऋणभार स्थिति का सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व के हित का संरक्षण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, निर्धारण अधिकारी ने कहा (सितंबर 2021) कि तथ्य यह है कि अनंतिम रूप से कुर्क की गई कुछ संपत्तियां जीएसटी अधिकारियों द्वारा कुर्की के अधीन थीं, राजस्व के हितों की रक्षा के लिए संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए धारा 281बी के तहत की गई कार्रवाई को किसी भी तरह से कम नहीं करती है। अनंतिम कुर्की का सहारा लेकर, विभाग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति की वसूली के लिए एक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा पेश कर सकता है।”

निर्धारण अधिकारी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह अनंतिम कुर्की पहले से जारी कुर्की को रद्द कर सकता है। श्री पी8 के मामले में निर्धारण लंबित थे, जबकि श्रीमति आर29 के मामले में ₹ 0.48 करोड़ की कर मांग की गई थी, जिसके विरुद्ध निर्धारिती ने केवल ₹ 0.28 लाख का भुगतान किया था (जुलाई 2022)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

जैसा कि उपरोक्त दृष्टांतों से देखा जा सकता है कि निर्धारण अधिकारी ने अनंतिम रूप से कुर्की की जाने वाली संपत्ति(यों) की ऋणभार स्थिति का पता नहीं लगाया।

इस प्रकार, अधिकांश मामलों में कुर्की की गई संपत्ति के स्वामित्व का गैर-सत्यापन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। लेखापरीक्षा का मानना है कि धारा 281बी के तहत संपत्ति कुर्की करने के बाद भी कुर्क संपत्ति की प्रकृति का सत्यापन, जहाँ कुर्की से पहले ऐसा सत्यापन व्यवहार्य नहीं है, न केवल अनंतिम कुर्की प्रक्रिया की मजबूती का आश्वासन प्राप्त करेगा बल्कि राजस्व के हित की रक्षा के अपने उद्देश्य को भी पूरा करेगा।

सिफारिश संख्या 6:

कुर्क की जाने वाली संपत्ति के स्वामित्व की स्थिति के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीटी एक उपयुक्त तंत्र तैयार कर सकता है। यदि स्वामित्व/ ऋण- भार-रहितता की पुष्टि के लिए संबंधित पंजीकरण या अन्य प्राधिकरणों से पूछताछ की जाती है, ऐसे मामलों में जहां कुर्की आदेश जारी होने से कुछ समय पहले संपत्तियों को बेचा या स्थानांतरित किया जाता

है, तो निर्धारिती के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

4.4 कुर्क संपत्तियों की पर्याप्तता और मूल्यांकन

सितंबर 2004 के बोर्ड के निर्देशों⁵³ में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि निर्धारण की कार्यवाही के दौरान, निर्धारण अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगा, निर्धारिती की सभी संपत्तियों की जांच करने और अनंतिम कुर्की के तहत रखने के लिए, *विचाराधीन मांग को शामिल करने के लिए पर्याप्त संपत्ति (या अधिकतम सीमा, जैसा भी मामला हो)*। इसके अतिरिक्त, धारा 281बी (4) निर्धारित करती है कि यदि निर्धारण अधिकारी आवश्यक समझता है, तो अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति को उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) निर्धारित करने के लिए नामित मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भित किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपत्ति का मूल्य कर देयता को कवर करने के लिए पर्याप्त है, या तो पूरी तरह से या अधिकतम संभव सीमा तक।

कुर्क संपत्तियों की पर्याप्तता और मूल्यांकन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

4.4.1 कुर्क संपत्ति के मूल्य की पर्याप्तता: अनुमानित कर देयता और कुर्की की गई संपत्ति का मूल्य दो आवश्यक मानदंड हैं जिन्हें अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए स्थापित करने की आवश्यकता है। जैसा कि अध्याय 3 में पैरा 3.2.2 (ii) में से चर्चा की गई है, अनुमानित कर देयता और कुर्क संपत्ति का मूल्य अधिकांश अनंतिम कुर्की आदेशों में दर्ज नहीं किया जा रहा है। निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी प्रस्तावों की समीक्षा और अन्य अभिलेख अर्थात् अनंतिम कुर्की से संबंधित कार्यालय आदेश नोटिंग्स⁵⁴ ने निम्नलिखित का खुलासा किया:

(i) निर्धारण अधिकारी ने 350 मामलों में से केवल 60 मामलों में अनुमानित कर देयता और संपत्ति का मूल्य दर्ज किया था। नौ केंद्रीय आयुक्तालयों के अंतर्गत निर्धारित ऐसे 60 में से 25 मामलों में, अनंतिम रूप

⁵³ सीबीडीटी निर्देश सं. 8 सितंबर 2004

⁵⁴ निर्धारण अधिकारी का 281बी प्रस्ताव + प्र.सीआईटी का उसपर अनुमोदन + धारा 281बी का आदेश + कार्यालय नोटिंग्स यदि कोई हो।

से कुर्क संपत्ति का मूल्य (₹ 2,010.05 करोड़) अनुमानित कर देयता (₹ 897.71 करोड़) को कवर करने के लिए पर्याप्त पाया गया था। 16 मामलों में कवरेज का प्रतिशत 100 प्रतिशत से 500 प्रतिशत तक, चार मामलों में 501 प्रतिशत से 2000 प्रतिशत और पांच मामलों में 2000 प्रतिशत से अधिक था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 25 में से 18 मामलों में, कुर्की की गई संपत्ति का मूल्य अनुमानित कर देयता के 203.6 प्रतिशत से 11,723.9 प्रतिशत तक बहुत अधिक पाया गया था। (परिशिष्ट 19क)। ऐसे दो मामले निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

(क) श्री के12 के तलाशी निर्धारण मामले में, जो कि प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-2, चेन्नई प्रभार के तहत केन्द्रीय सर्किल-2(1), चेन्नई में निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए निर्धारण किया गया, ₹ 2.08 करोड़ की अनुमानित कर देयता के विरुद्ध (तलाशी के दौरान पाए गए ₹ 6.93 करोड़ की बेहिसाब आय पर 30 प्रतिशत की न्यूनतम दर से गणना की गई अधिभार/उपकर/ब्याज/शास्ति को छोड़कर) दो आदेश धारा 281बी के तहत ₹ 207.55 करोड़ के मूल्य की कई संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्की करने के लिए जारी किए गए {क्रमशः 27 अचल संपत्तियों से युक्त (₹ 206.84 करोड़) और निर्धारिती की चार चल संपत्तियां (₹ 0.71 करोड़)} (सितंबर 2018)। लेखापरीक्षा ने देखा कि कुर्क संपत्तियों का मूल्य अनुमानित कर देयता (9,980.2 प्रतिशत) से कहीं अधिक था। ₹ 2.65 करोड़ की मांग उठाकर निर्धारण (जनवरी 2019) पूरा किया गया था और मामला निपटान के लिए आईटीएससी के पास लंबित है। लेखापरीक्षा (जून 2021) द्वारा इसका उल्लेख किया गया था। उत्तर और आईटीएससी निर्णय की वर्तमान स्थिति और बकाया कर मांग की वसूली मंत्रालय/सीबीडीटी (जुलाई 2022) से प्रतीक्षित है।

(ख) मैसर्स के8 प्रा. लि., के तलाशी निर्धारण मामले में निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए केन्द्रीय सर्किल-8(1), मुंबई में प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-4, मुंबई प्रभार के तहत, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश (अक्टूबर 2018) ₹ 3.61 करोड़ की अनुमानित कर देयता (जून 2017 में जारी रिपोर्ट में जांच विंग द्वारा निर्धारित ₹ 12.02 करोड़ की छिपी हुई आय पर अधिभार/उपकर/ब्याज/जुर्माना को छोड़कर 30 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर गणना की गई) के विरुद्ध ₹ 422.80 करोड़ के कुल मूल्य वाले

करदाता की कुल 16 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के तहत आदेश में दर्ज कारण यह था कि "कर और ब्याज जो निर्धारिती द्वारा देय हो सकता है, निर्धारिती द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है", जो उसके विरुद्ध कुर्क संपत्तियों की संख्या (11,723.9 प्रतिशत) मात्रा के विपरीत था। ₹ 6.41 करोड़ की मांग उठाकर निर्धारण (दिसंबर 2018) पूरा किया गया था। पूरी कर मांग वसूली (फरवरी 2021) लंबित थी। निर्धारण अधिकारी ने लेखापरीक्षा प्रश्न (फरवरी 2021) का उत्तर नहीं दिया। मंत्रालय/सीबीडीटी (अक्टूबर 2022) से उत्तर और बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित था।

इस प्रकार, आवश्यकताओं से कहीं अधिक संपत्तियों की कुर्की, जो मुख्य रूप से धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की के समय कर देयता का अनुमान लगाने में निर्धारण की विफलता के कारण है, बोर्ड के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है और संबंधित करदाता के अनुचित उत्पीड़न का कारण भी बनता है।

(ii) लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ केंद्रीय आयुक्तालयों के अंतर्गत मूल्यांकन किए गए 60 में से 35 मामलों में, कुर्क संपत्ति का मूल्य (₹ 121.29 करोड़) अनुमानित कर देयता (₹ 698.57 करोड़) को कवर करने के लिए अपर्याप्त पाया गया था। अनुमानित कर देयता की तुलना में कवरेज का प्रतिशत नौ मामलों में 0.1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत, चार मामलों में 10.1 प्रतिशत से 25 प्रतिशत, सात मामलों में 25.1 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक था। और 15 मामलों में 50.1 प्रतिशत से 95 प्रतिशत। इनमें से 27 मामलों में जहां कुर्क संपत्ति के प्रकार में अचल संपत्ति शामिल है, लेखापरीक्षा ने देखा कि कुर्क संपत्ति का बही मूल्य (₹ 119.65 करोड़), अनुमानित कर देयता (₹ 640.69 करोड़) को पूरी तरह से (या अधिकतम सीमा तक) कवर करने के लिए काफी अपर्याप्त⁵⁵ था (परिशिष्ट 19ख)। एक मामला नीचे दिखाया गया है।

(क) एस50 समूह जिसमें मैसर्स एस7 प्रा. लि. शामिल था जिसकी चर्चा पैरा 4.2(i)(ख) के माध्यम से अध्याय 4 में भी की गई है, जिसका नि.व.

⁵⁵ अनुमानित कर देयता के 75 प्रतिशत से कम है तो लेखापरीक्षा कुर्की को 'पूरी तरह से अपर्याप्त' मानती है।

2012-13 से 2018-19 के लिए केन्द्रीय सर्कल, पणजी में प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बेंगलुरु चार्ज, के तहत निर्धारण किया गया, के मामलों में चल और अचल संपत्तियों को कुर्की करने के लिए, जिनका मूल्य कुल ₹ 55.78 करोड़ था और ₹ 31.13 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी का 179.18 प्रतिशत तक कवर किया गया था, धारा 281बी के तहत शुरू में आदेश जारी किए गए थे (फरवरी और अगस्त 2020)। बाद में, हालांकि, केवल चल संपत्तियों जैसे, म्युचुअल फंड (₹ 2.88 करोड़) को कुर्क करने के आदेशों को बढ़ाया गया था, जबकि धारा 281बी के तहत अचल संपत्तियों (₹ 52.90 करोड़) को कुर्की करने के आदेश को समाप्त होने दी गई थी, जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे, भले ही, प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बेंगलुरु द्वारा इसे कुर्क करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। परिणामस्वरूप, कुर्की के कवरेज का प्रतिशत (केवल चल संपत्ति के रूप में, म्युचुअल फंड के रूप में) घटकर 9.2 प्रतिशत हो गया जो कि पूरी तरह से अपर्याप्त साबित हुआ। लेखापरीक्षा (मार्च 2021) में यह इंगित किए जाने पर, निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया (जून 2021) कि अचल संपत्ति और म्युचुअल फंड की कुर्की को क्रमशः फरवरी और अप्रैल 2021 में आगे बढ़ाया गया था और तलाशी निर्धारण अभी पूरा होना बाकी था। हालांकि, अचल संपत्तियों की कुर्की के आदेश को बढ़ाने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निर्धारिती के वित्तीय विवरणों से लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारितियों के पास ₹ 110.42 करोड़ मूल्य की गैर-तात्कालिक संपत्ति थी। हालांकि, ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे यह पता चल सके कि कुर्की के लिए म्युचुअल फंड का चयन करने से पहले निर्धारण अधिकारी ने इन संपत्तियों की उपयुक्तता पर विचार किया था। तथ्य यह है कि इन मामलों में चयनित विस्तार आदेशों के माध्यम से कुर्की की गई संपत्ति का मूल्य अनुमानित कर देयता को सुरक्षित करने के लिए अपर्याप्त साबित हुआ। निर्धारण (जून 2021) के पूरा होने और सुधार आदेश (फरवरी 2022) के पारित होने के बाद, मांग को घटाकर ₹0.04 लाख कर दिया गया था, जो वसूली (जुलाई 2022) के लिए लंबित थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

(ख) प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), हैदराबाद प्रभार के तहत केंद्रीय सर्किल-2(3), हैदराबाद में निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2018-19 के लिए निर्धारित श्री एम14 के तलाशी मूल्यांकन मामले में, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश 25/01/2020 को जारी किया गया और साथ ही 17/09/2020 के बाद के विस्तार आदेश, निर्धारिती की चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए, यानी ₹ 3.49 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी (निर्धारिती द्वारा स्वीकृत ₹ 11.62 करोड़ की अघोषित आय का 30 प्रतिशत पर गणना की गई) के खिलाफ ₹ 0.79 करोड़ मूल्य की सावधि जमा अपर्याप्त (22.6 प्रतिशत) था। हालांकि, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं था कि एओ ने यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए थे कि निर्धारिती के पास अन्य संपत्तियां हैं या नहीं जैसा कि बोर्ड के निर्देश है। अनुमानित कर देनदारी को कवर करने के लिए अपर्याप्त संपत्ति के मूल्य के संबंध में एक विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रश्न (जनवरी 2021) के लिए, डीसीआईटी, केंद्रीय सर्कल 2(3) हैदराबाद ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि अधिनियम में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि संपत्ति का मूल्य संभावित मांग से मेल खाता हो। ₹ 4.01 करोड़ की संचयी कर मांग उठाकर अप्रैल 2021 में तलाशी निर्धारण पूरा किया गया। इसके अलावा, यह देखा गया कि इसे व्यक्ति के पीडी खाते में उपलब्ध क्रेडिट शेष के विरुद्ध समायोजित किया गया था और ₹ 0.76 करोड़ की शेष राशि जुलाई 2022 तक बकाया थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार नहीं करते हुए (सितंबर 2022) कहा कि धारा 281बी के तहत आदेश द्वारा, ₹ 73 लाख की राशि कुर्क की गई थी। इसके अलावा तलाशी के दौरान ₹ 4.17 करोड़ की राशि जब्त की गई और यह हैदराबाद के प्रधान सीआईटी(के.) के पीडी खाते में पड़ी थी। इसके बाद निर्धारण पूरा किया गया और ₹ 4.94 करोड़ (ब्याज सहित) की मांग की गई। इसलिए, विभाग की अभिरक्षा में ₹ 4.90 करोड़ की कुल राशि (धारा 281बी के तहत जब्त बैंक बैलेंस और जब्त नकदी) ₹ 4.94 करोड़ की कर देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। यह देखा जा सकता है कि अनुमानित कर देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां

कुर्क/अभिरक्षा के अधीन थीं और लेखापरीक्षा यह इंगित करने में सही नहीं थी कि विभाग द्वारा कुर्क की गई परिसंपत्तियां अनुमानित कर देयता को कवर करने के लिए अपर्याप्त थीं। आज की तारीख तक ₹ 4.94 करोड़ की मांग की तुलना में ₹ 4.17 करोड़ समायोजित किए गए हैं और करदाता की पहली अपील निपटान के लिए सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित है। सीबीडीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार बकाया मांग का 20 प्रतिशत से अधिक एकत्र किया गया है।

जैसा कि मंत्रालय के उत्तर में कहा गया है आईटीडी के पास जब्त की गई ₹4.17 करोड़ की नकदी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, एओ द्वारा ₹ 3.49 करोड़ (जब्त नकदी से कम) की अनुमानित कर देयता के मुकाबले ₹ 0.79 करोड़ मूल्य की सावधि जमा को अनंतिम रूप से कुर्क करने की कार्रवाई सही नहीं पाई गई है क्योंकि जब्त की गई नकदी अनुमानित कर देयता की वसूली के लिए पर्याप्त थी। उपर्युक्त पर विचार करते हुए लेखापरीक्षा अवलोकन पर मंत्रालय का उत्तर सोच-समझकर दिया गया प्रतीत होता है।

(ग) श्री सी3 जिसका निर्धारण प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-2, चेन्नई प्रभार के तहत केंद्रीय सर्किल - 2(1), चेन्नई में किया गया था, के मामले में धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश 28/09/2018 को 47 अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए जारी किया गया था, जिनका संचयी खरीद मूल्य ₹ 0.53 करोड़ था, जो ₹ 108.45 करोड़ की अनुमानित कर देयता (दिनांक 17/09/2018 की धारा 281बी के तहत प्रस्ताव उल्लिखित 361.50 करोड़ कि अघोषित आय पर 30 प्रतिशत कि न्यूनतम कर से गणना की गई) को कवर करने के लिए अपर्याप्त साबित हुआ। उक्त अनंतिम कुर्की आदेश को मार्च 2019 और सितंबर 2019 में दो बार विस्तारित किया गया था। अनंतिम कुर्की के आदेश का कोई और विस्तार जारी नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सका कि करदाता के पास अन्य संपत्तियां हैं या नहीं क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं मिला है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या जांच विंग ने परिसंपत्तियों की सूची तैयार की थी और अनंतिम कुर्की के लिए संपत्ति के

चयन में एओ को पूरक करने के लिए क्षेत्राधिकार एओ को प्रदान किया था क्योंकि मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार नहीं करते हुए (अगस्त 2022) कहा कि अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के तहत निर्धारण नि.व. 2012-13 से 2014-15 के लिए 27/12/2019 को तथा निर्धारण नि.व. 2015-16 से 2017-18 के लिए 27/09/2021 को कुल ₹ 187.61 करोड़ के मांग को उठाते हुए पूरा किया गया है। यह अनंतिम कुर्की रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी चल और अचल संपत्तियों के लिए की गई थी। सभी संपत्ति की अनंतिम कुर्की अंतिम बार 11/03/2021 को की गई थी। अब यह मामला कर की वसूली के लिए टीआरओ के पास प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में है।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि करदाता की परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए एओ द्वारा किए गए प्रयासों के संबंध में रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं था, जो सीबीडीटी के निर्देश संख्या 8/2004 के दिनांक 02 सितंबर 2004 के उल्लंघन में था। इसके अलावा, उपरोक्त निर्देश में यह भी कहा गया है कि निर्धारण पूरा होने के बाद, यदि वसूली तक अनंतिम कुर्की जारी नहीं रखी जा सकती है, तो उन्हीं संपत्तियों को धारा 222/226 के तहत कुर्की के लिए विचार किया जा सकता है। हालांकि, यह नोट किया गया कि टीआरओ ने केवल 20/10/2022 को संपत्ति की कुर्की की, यानि निर्धारण पूरा होने से एक वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद, जबकि अनंतिम कुर्की आदेश 10/09/2021 में समाप्त हो गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने उप-रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से नोट किया कि कुर्क की गई इनमें से अधिकांश संपत्तियां या तो पहले से ही गिरवी रखी गई थीं या पट्टे पर ली गई थीं।

(iii) शेष 290 मामलों (82.8 प्रतिशत) में, 281बी⁵⁶ रिकॉर्ड में अनुमानित कर देयता (46 मामले) या कुर्क संपत्ति के मूल्य (116 मामले) या दोनों (128 मामले) को दर्ज नहीं करने के कारण, लेखापरीक्षा कुर्क की गई संपत्ति के मूल्य की पर्याप्तता या अन्यथा का पता नहीं लगा सकी। आयुक्तालय-वार ब्यौरा तालिका सं 08 में दिया गया है।

⁵⁶ एओ का 281बी प्रस्ताव + उस पर प्रधान आयकर आयुक्त का अनुमोदन + धारा 281बी के तहत आदेश + ऑफिस नोटिंग, यदि कोई हो।

तालिका संख्या 08: ऐसे मामले जहां कुर्क संपत्ति की पर्याप्तता का पता नहीं लगाया जा सकता है					
प्रधान सी.आई.टी. क्षेत्राधिकार (एओ की संख्या)	अनुमानित कर देयता उपलब्ध नहीं है, जबकि संपत्ति का मूल्य उपलब्ध है	संपत्ति का मूल्य उपलब्ध नहीं है, जबकि अनुमानित कर देयता उपलब्ध है	दोनों उपलब्ध नहीं हैं		
	मामलों की संख्या	संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-1, दिल्ली (04)	1	0.62	2	6.93	6
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-2, दिल्ली (04)	6	144.31	3	732.45	19
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली (06)	9	34.49	1	63.01	30
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-1, मुंबई (04)	0	0	5	251.89	3
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-3, मुंबई (05)	0	0	2	107.01	1
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-4, मुंबई (04)	3	36.03	5	95.65	1
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), कोच्चि (02)	4	70.01	0	0	2
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), बेंगलुरु (10)	1	0.89	7	41.75	0
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), हैदराबाद (07)	0	0	17	84.36	2
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-1, कोलकाता (03)	0	0	5	6.12	2
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-2, कोलकाता (01)	0	0	0	0	6
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-1, चेन्नई (06)	0	0	31	1,960.73	1
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-2, चेन्नई (04)	1	849.17	22	3,503.08	7
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), भोपाल (02)	2	3.76	2	9.02	18
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), विशाखापत्तनम (01)	0	0	4	28.03	1

तालिका संख्या 08: ऐसे मामले जहां कुर्क संपत्ति की पर्याप्तता का पता नहीं लगाया जा सकता है					
प्रधान सी.आई.टी. क्षेत्राधिकार (एओ की संख्या)	अनुमानित कर देयता उपलब्ध नहीं है, जबकि संपत्ति का मूल्य उपलब्ध है	संपत्ति का मूल्य उपलब्ध नहीं है, जबकि अनुमानित कर देयता उपलब्ध है	दोनों उपलब्ध नहीं हैं		
	मामलों की संख्या	संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), चंडीगढ़ (02)	0	0	7	81.11	15
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद (05)	19	52.89	0	0	14
प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), राजस्थान (01)	0	0	3	117.44	0
कुल	46	1,192.17	116	7,088.55	128

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, धारा 281बी के तहत संबंधित आदेशों में अनुमानित कर देयता का अभाव प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद शुल्क के तहत सबसे अधिक (19 मामले) था, इसके बाद प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली (09 मामले) और प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-2, दिल्ली (06 मामले) थे। दूसरी ओर, प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-1, चेन्नई (31 मामले) और प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-2, चेन्नई (22 मामले) में अधिकतम मामलों में संपत्ति का मूल्य दर्ज नहीं किया गया था।

इस प्रकार, अनुमानित कर देयता और / या कुर्क संपत्ति के मूल्य की गैर-रिकॉर्डिंग बोर्ड के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

4.4.2 कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्यांकन: अधिनियम की धारा 281बी⁵⁷ की उप-धारा (4) में कहा गया है, "निर्धारण अधिकारी, उप-धारा (1) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 142 ए में निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को एक संदर्भ दे सकता है, जो उस धारा के तहत प्रदान किए गए तरीके से संपत्ति के उचित बाजार

⁵⁷ अधिनियम की धारा 281बी के तहत उप-धारा (4)।

मूल्य का अनुमान लगाएगा और इस तरह के संदर्भ की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आकलन अधिकारी को अनुमान की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह प्रावधान विशेष रूप से उन मामलों पर लागू होता है जहां अचल संपत्ति (संपत्तियां) अनंतिम रूप से कुर्क है/हैं, जिनके मूल्य निर्धारिती की पुस्तकों में उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) से कम दरों पर दर्ज किए जा सकते हैं।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 308 लेखापरीक्षित मामलों में से जिनमें अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था (अन्य चल संपत्तियों के साथ/बिना) (पैरा संख्या 4.2 की तालिका संख्या 07 देखें), केवल 12 मामलों (3.9 प्रतिशत) में, संबंधित एओ अनुमानित कर देयता के उच्च कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) का पता लगाने के लिए कुर्क संपत्ति को नामित मूल्यांकन अधिकारी (वीओ) को संदर्भित किया था। निर्धारिती-वार विवरण **परिशिष्ट 19ग** में दिए गए हैं, और उसके निष्कर्षों पर निम्नानुसार यथाचर्चित है:

इन 12 मामलों में से, आठ मामलों में, एओ ने धारा 281बी के तहत आदेश जारी होने की तारीख (तारीखों) से काफी पहले संबंधित वीओ को कुर्क की गई संपत्ति को रेफर कर दिया। इनमें से छह मामलों में, धारा 281बी के तहत संबंधित आदेशों की अग्रिम रूप से वीओ से रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी, जिसमें दिखाया गया था कि कुर्क संपत्तियों का एफएमवी मूल रूप से इंगित मूल्य की तुलना में अधिक था। शेष दो मामलों के संबंध में, एक मामले में मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी, जबकि दूसरे मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के तहत आदेश जारी करने के बाद वीओ द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 12 में से शेष चार मामलों में, संबंधित एओ ने धारा 281बी के तहत आदेश जारी होने के बाद ही वीओ को कुर्क की गई संपत्ति को संदर्भित किया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि इन 12 मामलों में से छह में, मूल्यांकन रिपोर्ट देर से वीओ द्वारा प्रस्तुत की गई थी और देरी नौ दिनों से लेकर 235 दिनों तक थी जिसकी गणना पूर्वोक्त प्रावधानों में निर्धारित 30-दिन की सीमा के अंत से की गई थी।

308 मामलों में से 296 मामलों (96.1 प्रतिशत) में संबंधित एओ ने कुर्क संपत्तियों के एफएमवी निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को कोई संदर्भ नहीं दिया था। इस प्रकार, अधिकांश मामलों में, लेखापरीक्षा पर्याप्त आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका कि संबंधित एओ ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि कुर्क संपत्तियां बोर्ड द्वारा सितंबर 2004 के अपने निर्देशों के अनुसार निर्धारित अधिकतम सीमा तक अनुमानित कर देयता को कवर करने के लिए पर्याप्त वसूली योग्य मूल्य की थीं, जिससे राजस्व के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जा सके। दो निर्देशी मामले नीचे दिये गए हैं:

(क) प्रधान सीआईटी (केंद्रीय), बेंगलुरु प्रभार के तहत केंद्रीय सर्किल-2(2), बेंगलुरु द्वारा निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2016-17 के लिए निर्धारण किए गए श्री एस25 के तलाशी मूल्यांकन मामले में, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश (दिसंबर 2017) ₹ 0.99 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी {धारा 132(4) के तहत तलाशी की कार्यवाही के दौरान निर्धारिती के एक बयान द्वारा स्वीकृत ₹ 3.30 करोड़ की अघोषित आय पर 30 प्रतिशत (अधिभार/उपकर/ब्याज/शास्ति को छोड़कर) पर गणना की गई} के प्रति ₹ 0.09 करोड़ के मूल्य वाली एकल संपत्ति को कुर्क करने के लिए आदेश जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती के पास बेंगलुरु शहरी क्षेत्र में कई अचल संपत्तियां थीं (मूल्य इंगित नहीं किया गया था) और ₹ 0.32 करोड़ मूल्य के सोने के आभूषण भी थे। एओ ने धारा 281बी के तहत आदेश पारित करते समय, सोने के आभूषण सहित इन कई संपत्तियों पर विचार नहीं किया, लेकिन मूल्य की एक संपत्ति कुर्क की जो अनुमानित कर देयता को कवर करने के लिए अपर्याप्त थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (फरवरी 2021) किए जाने पर, एओ, केंद्रीय सर्किल-2(2), बेंगलुरु ने उत्तर दिया (जून 2021), "281बी प्रस्ताव और विस्तार आदेशों ने क्षेत्र माप के साथ संपत्तियों के स्थान को स्पष्ट रूप से आबाद किया था और कि सभी संपत्तियां महत्वपूर्ण इलाकों में बंगलौर शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं; उसी के मद्देनजर, निर्धारित मार्गदर्शन दर के संबंध में संपत्तियों के गतिशील बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।" एओ का उत्तर न

तो लेखापरीक्षा अवलोकन के लिए विशिष्ट है और न ही बाजार की गतिशीलता के बावजूद मान्य है, मौजूदा नियम/निर्देश निर्धारित करते हैं कि कुर्क संपत्ति अधिकतम सीमा तक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, जैसा भी मामला हो। इसके अलावा, धारा 281बी की उप-धारा (4) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि कुर्क संपत्ति को मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भित किया जा सकता है ताकि ऐसी तुलना में सहायता के लिए उचित बाजार मूल्य का पता लगाया जा सके, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया था और कुर्क संपत्ति का मूल्य अनुमानित कर देयता को कवर करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त था। तलाशी निर्धारण 22/12/2017 को पूरा किया गया था जिसमें ₹ 7.56 करोड़ की मांग की गई थी जिसके लिए निर्धारिती द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है। मामला टीआरओ को भेजा गया था और टीआरओ ने सभी निर्धारण वर्षों के लिए 01/11/2018 को फॉर्म आईटीसीपी-1 में मांग के नोटिस जारी किए थे। इसके बाद टीआरओ ने उसी संपत्ति को कुर्क कर लिया। निर्धारिती ने 09/08/2018 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है जो लंबित है। (जुलाई 2022)।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

(ख) श्री एन13 और श्रीमति एस19 के समूह जिसका निर्धारण प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-1, दिल्ली प्रभार के तहत केंद्रीय सर्कल-01, दिल्ली में निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए किया गया, के मामले में धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश 22/10/2019 को निर्धारितियों के संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली 11 अचल संपत्तियों और पूरी तरह से श्रीमति एस19 के स्वामित्व वाली एक संपत्ति को कुर्क करने के लिए, आवश्यक जानकारी (अर्थात्, वैधता की अवधि, और अनुमानित कर देनदारी) दर्शाये बिना निर्धारितियों की आय में ₹ 230 करोड़ (अंतिम कुर्की के प्रस्ताव में उल्लेखित) की संभावित वृद्धि पर संभावित कर मांग को कवर करने के लिए जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों से पाया कि 10 कुर्क संपत्तियों का मूल्य ₹ 5.91 करोड़ इंगित किया गया था, जो अक्टूबर 2008 और अगस्त 2015 के बीच

निर्धारितियों द्वारा उनके अधिग्रहण के दौरान खर्च की गई लागत थी। शेष दो संपत्तियों को निर्धारितियों को विरासत में मिला था और इसलिए कोई मूल्य नहीं दर्शाया गया था। चूंकि कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य ₹ 69 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी को कवर करने के लिए अपर्याप्त था, जिसकी गणना अधिभार/उपकर/ब्याज/जुर्माने को छोड़कर 30 प्रतिशत की न्यूनतम कर दर पर की गई थी, एओ के लिए यह अनिवार्य था कि वह उचित बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए संपत्तियां मूल्यांकन अधिकारी के संज्ञान में लाए ताकि अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति द्वारा अनुमानित कर देयता का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जा सके, जो नहीं किया गया था।

एक लेखापरीक्षा प्रश्न (जनवरी 2021) के जवाब में, अन्य बातों के साथ-साथ, क्या मूल्यांकन अधिकारी को एक संदर्भ दिया गया था, एओ, केंद्रीय सर्कल-01, दिल्ली ने बिना कोई कारण बताए नकारात्मक उत्तर दिया (फरवरी 2021)।

श्रीमति एस19 के मामले में, ₹ 1.01 करोड़ की संचयी कर मांग को बढ़ाकर दिसंबर 2019 में तलाशी निर्धारण पूरा किया गया था, जो कि वसूली के लिए लंबित था क्योंकि निर्धारिती ने निर्धारण के खिलाफ अपील दायर की थी। हालांकि, श्री एन13 के मामले में, ₹ 262.92 करोड़ की सीमा तक आय में वृद्धि करने और ₹ 562.68 करोड़ के शास्ति के एओ के प्रस्ताव के जवाब में, निर्धारिती ने निपटान के लिए एक आवेदन आईटीएससी के समक्ष धारा 245डी के तहत, दायर किया (दिसंबर 2019) जो निर्णय (जुलाई 2022) के लिए लंबित था। साथ ही, मार्च, 2021 तक, धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की आदेश (अक्टूबर 2019) मामले के निपटारे/कर की वसूली की तारीख तक बढ़ाए बिना ही समाप्त हो गया। मंत्रालय/सीबीडीटी (अक्टूबर 2022) से उत्तर और शेष कर वसूली/मामले के निपटान की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित था।

इस प्रकार, मौजूदा तंत्र में, कुर्क संपत्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया प्रभावी नहीं थी क्योंकि एओ धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की के प्रस्तावों में अनुमानित कर देयता और/या कुर्क संपत्तियों के मूल्य को दर्ज नहीं कर रहे थे। सीमित मामलों में जहां आवश्यक जानकारी उपलब्ध थी,

कुर्की का मूल्य अनुमानित कर देयता की तुलना में या तो अत्यधिक या अपर्याप्त था, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित निर्धारितियों को अनुचित उत्पीड़न या अनुमानित कर देयता का अपर्याप्त कवरेज हो सकता है। साथ ही, अधिकांश मामलों में एओ ने अधिनियम में निर्धारित संपत्तियों के उचित बाजार मूल्य का पता नहीं लगाया। नतीजतन, राजस्व के हितों की रक्षा के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावना दूर की कौड़ी लगती है।

सिफारिश संख्या 7:

सीबीडीटी राजस्व के हितों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो, उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) का निर्धारण करके संपत्ति की अनंतिम कुर्की की पर्याप्तता के संबंध में आईटी अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों और सीबीडीटी के सितंबर 2004 के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

जवाब में, मंत्रालय ने (जुलाई 2022) कहा कि विभागीय अधिकारी आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों और बोर्ड के निर्देशों से बंधे हैं।

यद्यपि अधिनियम और बोर्ड के अनुदेशों में स्पष्ट प्रावधान हैं, लेकिन एओ संगत प्रावधानों को लागू नहीं कर रहे हैं और बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार, लेखापरीक्षा का विचार है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अनुदेशों को दोहराने और किसी संपत्ति की अनंतिम कुर्की की पर्याप्तता के संबंध में अधिनियम/बोर्ड के अनुदेशों के उपबंधों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।